

(1645/CS/SAN)

### जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक

1645 बजे

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए। ”

महोदय, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ?

**माननीय अध्यक्ष :** हाँ, कह दीजिए, थोड़ा हल्का सा बोल लीजिए।

**श्री भूपेन्द्र यादव :** महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, उससे न सिर्फ उद्योगों को गति मिलेगी, अपितु ये बदलाव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होंगे। हमारे देश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, संचालन, आवश्यक अनुमतियाँ, उल्लंघन पर कार्रवाई आदि की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने के लिए इन बदलावों को किया जा रहा है। इसके साथ ही सामान्य गलतियों के लिए उद्यमियों को जो कारावास की सजा दी जाती है, उसको पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तावित संशोधन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यापार की सुगमता, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में से ही एक कड़ी है।

महोदय, वर्तमान में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत के प्रावधानों में धारा 41 से लेकर धारा 45ए तक, धारा 47 और धारा 48 में विभिन्न छोटी-छोटी चीजों में दंड का प्रावधान किया गया है और उनका वर्णन किया गया है। अब नये संशोधनों में धारा 25 और 26 के प्रावधानों के उल्लंघन, जुर्माना या अतिरिक्त जुर्माना देने की विफलता को छोड़कर सभी प्रावधानों से कारावास देने का जो प्रावधान था, उसको समाप्त किया जा रहा है। अब यह आज जो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम विधेयक है, इसके जो समान विधेयक जो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण विधेयक, 1981 है, उसके प्रावधानों को पहले ही जन विश्वास बिल, 2023 के अंतर्गत स्वीकृत इस सदन के द्वारा किया जा चुका है। चूँकि वर्तमान जो जल अधिनियम संशोधन विधेयक है, राज्यों के पास भी जल का विषय आता है और जल संशोधन विधेयक जो है, वह संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था। इसलिए उस समय जन विश्वास विधेयक पर इस पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए इसको अभी दो राज्यों के द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद इस सदन के समक्ष रखा गया है।

मुख्यतः तीन प्रमुख विषय मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद माननीय सदस्यों के जो भी विचार, सुझाव, राय आएगी, उस पर भी मैं अंत में अपना स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। तीन प्रमुख विषय इस अधिनियम के अंतर्गत संबोधित किए गए हैं। पहला, राज्य के बोर्डों में जो प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति है, उसको सुव्यवस्थित करना। अभी तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है, उनकी योग्यता, उनके तरीके को एक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, एक समान बनाने के लिए इस संशोधन में धारा 4 के अंतर्गत संशोधन किया गया है। धारा 4 के अंतर्गत जो

संशोधन/अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट से सभी राज्यों के बोर्डों के अध्यक्षों की निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और उनके लिए एक निश्चित अनिवार्य योग्यता, अनुभव और प्रक्रिया को भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

दूसरा जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संशोधन के द्वारा किया गया है, वह पहले भी मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि ईज ऑफ लिविंग बिजनेस करना और जो अनावश्यक डंड के प्रावधान हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है और इसलिए सैक्शन 25 और 26 को छोड़कर बाकी जितनी भी धाराएं, जो अदालतों में अभियोजन लगाकर के, प्रक्रिया चलाकर के जो एक तरीके से सजा देने के प्रावधान थे, उनको हटाने का प्रस्ताव किया गया है।

(1650/GG/SNT)

उस पर जो जुर्माना है, उसको लगाने के लिए एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। जुर्माने की विफलता जैसे मामले में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो फाइन लगाया गया है, उसके लिए एक पर्यावरण कोष बनाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि उस पर लगाया गया जुर्माना ठीक नहीं है, तो फिर उसमें अपील का अधिकार भी एनजीटी के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया गया है। एक सेल्फ रेग्युलेशन सिस्टम को बनाने का प्रयास इस संशोधन के द्वारा किया गया है। तीसरा, इस समय जब हम किसी भी राज्य में उद्योग लगाने जाते हैं तो कंसेंट टू स्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, हम जानते हैं कि अलग-अलग राज्यों में उसके द्वारा तकलीफ दी जाती है और एक तरह का भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इसके जो कंसेंट टू स्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का जो मैकेनिज्म है, उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार को, किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना के पहले पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता से कुछ श्रेणियों के उद्योगों को छूट देने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार होगा, जिससे राज्यों को, जो अपनी ग्रीन इंडस्ट्री लगाते हैं, उनको कई तरह की प्रशासनिक जकड़नों से बचाया जा सकेगा। इससे कई बार, केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद कुछ राज्यों में अलग से जो कंसेंट लेनी पड़ती है, वह जो दोहराव होता था, वह कम होगा और रेग्युलेटरी बॉडीज़ का बोझ भी कम होगा। दूसरा, केंद्र सरकार किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिए किसी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने पर इनकार करने या रद्द करने से संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए अधिकृत होगी और इन सभी प्रक्रियाओं में एक समान सिस्टम सब जगहों पर लागू होगा। जो उद्योग ऑल इंडिया लैवल पर चलते हैं, उनमें लंबे समय से उनके द्वारा जो मांग की जा रही थी कि एक राज्य में उनको अलग तकलीफ होती है, दूसरे राज्य में अलग तकलीफ होती है, उनके लिए एक समान रूप से मैकेनिज्म का काम करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए और देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैंने इस होने वाले संशोधनों के प्रावधानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं चाहूंगा कि सदस्य इस पर समर्थन दें और अपने विचार रखते समय अगर कोई स्पष्टीकरण होगा तो अंत में मैं उसको रखने का प्रयास करूंगा।

(इति)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए”

1653 hours

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, thank you, for giving me the opportunity to speak on the discussion on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

I stand here to raise my concerns regarding this Bill that amends one of the very core environment Acts of this country, which is the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. The intent of this Government to bring this Bill is very clear – decriminalise and let go of the violators that pollute the water resources of our country. This is a Bill against the children of our country. This is a Bill against the culture of India itself where we worship environment as God. This Bill is against the federal nature of this country itself.

Sir, it has not been long since this Government passed the Jan Vishwas Bill which contained similar provisions that decriminalised violations of the Act governing air pollution. We all know air pollution is a very big issue in Delhi. I doubt what the Government is proposing to do in the name of Ease of Doing Business. I vehemently stand today to warn the Union Government that the opportunity cost of passing this Bill is the access of our future generations to a pollution-free and disease-free life.

With the recent laws being introduced and passed by this Government, it is evident that the Government has no respect for the environment of this country. Therefore, I may take this moment to remind this Government of the Subhash Kumar vs. State of Bihar case in 1991. The Supreme Court in this case had strongly ruled out that the right to pollution-free water and air is a fundamental right under Article 21. Subsequently, the right to a pollution-free environment was incorporated in the Constitution's Right to Life, and all the law courts within the Indian territory are bound to follow the same.

(1655/AK/MY)

I am surprised that this Government has no regard for this verdict. I would like to state that the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024 is just another attempt to align the 1974 Water Act with the current anarchist policies of the Government and that is to disarm the State Governments, to bring everything under the Central Government's control and under the control of Delhi. Now, the new Bill is aimed at shifting the powers of

the State Governments to the Central Government regarding the Constitution of the SPCBs.

Let me explain that these powers in terms of appointment of Chairman of SPCBs, terms and conditions of service of the SPCB Chairman, and appointment of Adjudicating Officers will now be vested with the Central Government. The major issue of this shift is that the elected State Governments will be losing their authority over critical decisions that impact the functionality of the Bill.

Further, the Bill has been amended in Section 27 of the principal Act to insert a provision that gives the Union Government the ultimate power to issue guidelines regarding matters relating to grants, refusal or cancellation of consent given by any State Board for the establishment of any industry, its operation or process or treatment and disposal system. It is also mentioned in the Bill that every State Government should act according to orders/guidelines issued by the Central Government. This is a clear move to overpower the decisions of the State Governments.

The proposed Bill grants the Central Government the authority to exempt certain industry categories from the obligatory need to obtain consent for discharging industrial waste into water bodies. This highlights a concern that the current Government, for its own interests, might enable influential industries in polluting water bodies similar to the perceived empowerment of individuals like Adani Group who are accused of exploiting people and resources for personal gain.

Further, granting certain industries exemptions by the Central Government to release industrial waste into water bodies raises growing environmental concerns. With minimal oversight and these exemptions, the unrestricted discharge of industrial waste poses a significant risk of water contamination in lakes, rivers, and groundwater. This could eventually render the water unsafe for the surrounding communities and pose threats to any nearby forest cover or the wildlife dependent on these water bodies.

One of the major concerns the Bill poses is the omission of imprisonment for repeated offenders under Sections 24, 25 or 27, which previously ranged from two to seven years of imprisonment. This removal raises concerns about the effectiveness of State-level deterrence against industrial pollution and

provides big leeway for repeated offenders. In the earlier draft of the Act, imprisonment of repeated offenders served as stringent consequence for violating environmental laws, compelling industries to take compliance seriously. With the absence of such stringent punishment currently, there is a risk of diminished accountability allowing offenders to potentially evade significantly by merely paying substantial fines.

I am surprised that the Government has decriminalized serious offenses such as failure to comply with such orders issued by a State Board or courts on emergency measures in case of pollution of a stream or a well. Also, offenses such as failure to intimate the occurrence of any accident or other unforeseen events and damages caused to any work or property belonging to the Pollution Control Boards, etc., which are grave in nature have been replaced with penalties. It means that those who have money can get away with the consequences. In the name of building a spirit of ease of living and ease of doing business, the Government is surrendering the shield against environmental pollution.

The Statement of Objects and Reasons of the Bill states that: "... the cornerstone of democratic governance lies in the Government trusting its own people and institutions...". But decriminalization of serious offenses in this Bill suggests otherwise that this Government is entrusting the country's environment with their business friends. We all know how strong Modi ji's friendship exists with the crony capitalists.

(1700/UB/CP)

The current Government often highlights the 'Namami Gange' initiative as one of its initial commitments, with Prime Minister Modi expressing a personal duty to serve *Maa Ganga* by aiming to clean the sacred river. Unfortunately, it appears that these efforts have fallen short, and the condition of the Ganga remains a cause for concern. Despite promises, Ganga stands as one of the world's most polluted rivers, with approximately 80 per cent of pollutants originating from untreated industrial and household effluents.

According to the Central Pollution Control Board (CPCB), a mere 37 out of 222 monitoring sites along the Ganga give water suitable for bathing. This is how their deceptive promises made to the citizens of India work? It is noteworthy that, despite consistent expressions of concern by the Supreme Court, the Delhi

High Court, and the principal bench of the National Green Tribunal (NGT) regarding environmental issues in the National Capital Region, including the state of the Yamuna river, air pollution, and waste management, only one conviction under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, took place in 2017. The limited number of convictions suggests that the fear of criminal prosecution is not serving as a sufficient deterrent.

Given the highlighted concerns in the draft Bill, it appears that the intended purpose of the amendment may not be fulfilled. But the need of the hour is to evaluate the existing structure and institutional capabilities of SPCBs rather than diluting the battle against pollution itself. Also, the Government should note that merely increasing the Centre's powers with the SPCBs is not the right path, and will not render effective without addressing the basic problem. Without enhancing their institutional capacity and competence to exercise these powers, no amendments in the Bill will prove effective.

Therefore, I end my speech by suggesting this Government to focus on addressing the shortcomings in existing regulatory institutions, instead of constantly coming up with new hollow laws that derail the entire governance structure.

(ends)

1702 बजे

**श्री शंकर लालवानी (इन्दौर):** महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। जल प्रदूषण के संबंध में यह विधेयक लाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वायु का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रदूषण कम हुआ है। हमने देखा है कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से वायु प्रदूषण कम हुआ है और स्वच्छता अभियान से एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर हुई है। इसके कारण एयर इंडेक्स क्वालिटी में इंदौर नंबर वन है।

1703 बजे

(श्री कोडिकुन्निल सुरेश पीठासीन हुए)

जिस प्रकार माननीय प्रधान मंत्री जी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर काम किया है, उससे पूरे देश में एयर पोल्यूशन कम होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है और हमारी एयर इंडेक्स क्वालिटी भी बेहतर होती जा रही है। हम देखें कि रेलवे में जिस प्रकार से कोयले का इंजन बंद हुआ है और रेलवे का 100 परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा होने जा रहा है, उससे पोल्यूशन कम हुआ है। अब तो रेलवे सोलर एनर्जी पर आ रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अयोध्या से आने के बाद प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना लागू की, जिससे देश में सोलर एनर्जी में नई क्रांति आई है। हमारे इंदौर में भी इस अभियान में तेजी आई है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री भूपेन्द्र यादव जी लाये हैं, यह उसी क्रम में है जिसमें माननीय मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कई कानून समाप्त किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उद्योगों की परेशानी किस प्रकार से कम हो, यह सरकार मूल मंत्र है। माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया कि सामान्य गलती पर, पर्यावरण और मानव को नुकसान नहीं हो ऐसी गलती पर भी उद्योगपतियों को पहले जेल भेजा जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था और इंडस्ट्री बंद की जाती थी। इस विधेयक में दंड का प्रावधान लाया गया है, जो कि उद्योगों के लिए बहुत ही हितकारी है। उद्योग हमेशा यही चाहते थे कि इस प्रकार का प्रावधान लाया जाए। अगर दंड प्रावधान के बाद भी उद्योगों को असहमति है, तो अपील के लिए एनजीटी में वे जा सकते हैं।

केंद्र सरकार इंडस्ट्री की कुछ श्रेणियों को धारा 25 में छूट भी दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी भी जारी करेगी। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के पोल्यूशन बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति की भी गाइडलाइन यहां से जारी होगी और राज्य के पोल्यूशन बोर्ड किस प्रकार से चलें, इसकी गाइडलाइन भी यहां से जारी की जाएगी।

इसमें एक बात और अच्छी की गई है कि जो दंड आएगा, वह दंड पर्यावरण संरक्षण के उपयोग में ही लाया जाएगा। इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

(इति)

(1705/SRG/NK)

1705 hours

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

Sir, though this Bill has been brought in consonance with air pollution, when you read between the lines, the clauses of the Bill suggest that it really is a draconian law. I know that the Bill will be applicable in the States of Himachal Pradesh, Rajasthan and the Union Territories, but I know for sure that this Bill is going to be amended or expanded to other States in India.

I will go into it clause-by-clause. The first issue is about the consent for exemptions for industries. The Bill specifies that the Central Government, in consultation with the Central Pollution Control Board, may exempt certain categories of industrial plants from obtaining such consent. In any State, whenever they have to start an industry, they will approach the State Pollution Control Board. The State Pollution Control Board will look into the possibilities and feasibilities and the water pollution measures; then only they will give the consent. Now, they say that the Central Pollution Control Board simply can issue an order. If at all the Government of India proposes to issue a pollution certificate to an industry which is set up in a State, and if that plant causes any pollution discomforts or water pollution, who is answerable? The State is answerable. The public will walk into the premises of the State Government or the State authorities or the Panchayat and they will be questioned. But the Central Government will keep quiet and they will not interfere into these kinds of things. So, this is a draconian law that says that the Central Government can issue any kind of a consent to any industry without the consent of the State Pollution Control Board. This is a very bad thing in this Bill.

Secondly, the Bill also adds that the Central Government may issue guidelines for the grant, refusal or cancellation of the consent granted by the State Pollution Control Board. If at all a State Pollution Control Board has already given a consent to an industry, that consent can also be cancelled by the Central Pollution Control Board. What is this? Where are we going? Now, the Central Government is acting to crush the State's autonomy. Any pollution control consent given by the State Pollution Control Board, after taking into



account all the rules and regulations can be cancelled by the Central Pollution Control Board. So, this is a draconian law.

Thirdly, I come to the issue of Chairman of the State Board. The State Pollution Control Board is an autonomous body. Now, the Central Pollution Control Board will come to the State and say, 'this is how you have to appoint a Chairman of the Board'. What is this? So, the Governor will come, he will choose who is going to be a Vice Chancellor or a Chancellor of a University. Then the next person from the Central Government will come and he will say, 'this is how you have to work'. Now, even for the State Pollution Control Board's Chairman, the Central Government is going to tell, this is how you have to appoint the Chairman of the State Pollution Control Board. So, this is a draconian law. You are taking away all the rights of the States.

Another point is that the State Pollution Control Board will issue directions to immediately restrain any activity which is leading to discharge of polluting material in the water bodies. Whenever there is a mishap in a State, the State Pollution Control Board impose a fine or penalty or even imprisonment depending upon the crime situation or depending on the incident happening. Because of this Act, the Central Pollution Control Board will walk into the State and say, 'no hereafter you will not impose any kind of an imprisonment.'

(1710/RCP/SK)

All you can do is only impose a fine of Rs.10,000 to Rs.15 lakh. So, they are now taking away the punishment category also. Regarding the penalty for offences, under the Act, an offence for which the punishment is not explicitly specified is punishable with an imprisonment up to three months or a fine up to Rs.10,000 or both. Whenever something happens in the State, that is against the State Pollution Control Board, they will impose a fine of Rs.10,000 or both or whatever it is. Again, the Central Pollution Control Board is walking into the shoes of the State Pollution Control Board and they are saying that no, we will only prescribe what is going to be in the provisions. You cannot arrest anyone even if there is a great calamity or whatever else has happened.

This Bill allows the Central Government to appoint adjudicating officers to determine the penalty. They are going to appoint adjudicating officers to examine what has happened. The officers must be of the level of a Joint

Secretary to the Central Government or the Secretary to the State Government. What is the role of the State Government in appointment of the adjudicating officers? The Union Government's big brother attitude is unwarranted. They have stepped in again saying who is going to be the adjudicating officer. Now, tell me, I am asking this august House. A State is autonomous which is taking care of its own business. But the Centre is walking into each and every parameter, each and every instance of a State. They are infringing upon its autonomy. Regarding the entire constitution which is happening, we are demoralised.

Now, I come to cognisance of offences which is a very interesting part of the Act. Whenever any fault or malpractice occurs in the State Pollution Control Board, earlier the officers who were all connected with the crime used to be punished. Now, under the new amendment Bill, the Central Pollution Control Board is telling the State that if at all there is a crime or if at all there is a fault in the Pollution Control Board in granting licences or whatever it is, the action will be taken only on the Chairman of the Board where he will be liable to pay the penalty equal to one month of his basic salary. So, there is no punishment. Even 10 officers may have jointly done the crime. Still the punishment is going to be the basic salary.

Running a State is difficult. In each and every State, they are going here and there to bring in investments, bring in funds and other things. But the Centre is infringing upon all the things. They introduced GST and took away all our money. They introduced NEET and took away all our autonomy in giving medical seats. Take for example Dam Safety Bill, National Education Policy, Citizenship Amendment Bill, three farm Bills, Multi-State Co-operative Societies Bill, Criminal Procedure identification Bill, Electricity Amendment Bill, Delhi Municipality Bill, Indian System of Medicine Bill, National Medical Commission Bill, Airports Authority Bill, Major Port Authorities Bill and Motor Vehicle Bill. They are taking away all the rights of the State.

Our Chief Minister of Tamil Nadu is travelling here and there to invite investors to the State. I am talking generally for other States also. Chief Minister of each and every State, the State Cabinet run here and there to invite people to come and invest, to start industries in their State. But if this kind of a big brother attitude is there where they say you can do this, you cannot do this,

then how will the investors walk into the States without the States' autonomy? It is not possible. Therefore, I would request the Minister to recall this Bill and make amendments in such a way that the State's authority is not questioned.

In Tamil they used to say; my Chief Minister always says:

\*"The State Governments only do all the welfare measures for the people. People expect only the State Governments for their day-to-day needs. The Central Government is putting spokes."

If this kind of a big brother attitude is going to continue, then you will lose all the States. Today, you may be a big brother. You are very powerful. But tomorrow, you may need to sit this side while we will sit there. You will again face the same thing.

I will finally conclude with four lines in Tamil. ... (*Interruptions*)

\*Do not think those who cheat will always have good time. Do not forget how many days lies will support you. One day the situation will change. Election will bring that change.

Thank you. *Vanakkam*.

(ends)

(1715/PS/KDS)

1715 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill, out of turn on my request.

Sir, I strongly and vehemently oppose this Bill. This is a draconian legislation as far as environmental protection is concerned. So, I fully support my learned brother who has just now spoken about it. This Bill is being introduced, and also being taken for discussion, in a very light manner. I have gone through the debates of the Rajya Sabha also. Unfortunately, it is missing. I would like to know from the hon. Minister what is the intent of the Bill. In the name of ease of doing business and in the name of ease of living, you are taking away the entire federal principles of the country, the Constitution. Also, environmental protection laws and ecological protection laws are being violated. That is the reason why I strongly oppose this Bill. This is a very simple way in which it is being introduced but its impact and consequences will be very high. The ramifications will also be very high.

Hon. Chairperson, Sir, if you go through the history to know why this law was enacted, it is very clear that on the basis of the United Nations Conference on the Human Environment held in the year June 1972, three Acts were enacted -- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Environment (Protection) Act, 1986. Those were the landmark legislations the Parliament had passed subsequent to the Independence and subsequent to this international conference. Also, this Bill is coming to the House on the basis of the resolutions passed by two Legislative Assemblies -- Rajasthan Legislative Assembly and Himachal Pradesh Legislative Assembly. They have passed resolutions. I would like to know from the hon. Minister when these resolutions were passed. Normally, this comes in the Statement of Objects and Reasons. When were the resolutions passed by the Himachal Pradesh and Rajasthan State Assemblies? Politically, I would like to know about it. It is not there in the file. It is not there in the record. It is not there in the Statement of Objects and Reasons. They are also relinquishing their rights and powers to have their control over prevention and control of water pollution.

Hon. Chairperson, Sir, I am opposing this Bill on two counts. The first one is that the principles of federalism are violated, and second one is that the environmental protection laws are being violated. Now, the whole world is sensitive to ecological and environmental protection. Strong demand is coming from the public to have stringent environmental laws so as to protect the nature as well as to meet the requirements in future. All the hon. Ministers were very vocal in supporting the protection of environment and ecology. I had attended the UNFCCC Conference also. After that also, we had a discussion under Rule 193 in which you appeared to be a very strong advocate for environmental protection. But we have never expected such a law from the hon. Minister like Shri Bhupender Yadav ji.

Hon. Chairperson, Sir, global warming and climate change are the hot topics for discussion in international forums. In the United Nations Framework Convention on Climate Change conference, all the nations including India took pledge to mitigate carbon emission. We have decided to reach zero carbon emission stage by 2070 and we are planning our programmes to achieve that target. Even the hon. Prime Minister has made a very specific statement in the UNFCCC where we are committed to have zero carbon emission by 2070 and the programmes are being planned.

Carbon emission can be abated by mitigating the pollution, both water pollution and air pollution. Both water pollution and air pollution are having their own impacts on the carbon emission. There is no doubt about it. But it is surprising to note that the Government is coming up with a legislation to dilute the law relating to the prevention and control of water pollution just to satisfy the interest of the industry in the name of ease of doing business.

(1720/SMN/MK)

See, if you go through the entire legislations particularly during the time of NDA Government of the last ten years, almost all the legislations are in the name of Ease of Doing Business. The Environment Protection Act, 1986, Forest Conservation Act, Wildlife Protection Act and the Water Act have already said that these are all the landmark legislations of Independent India. We are able to protect the existing forest coverage only because of the stringent provisions of the Forest Conservation Act. Similarly, we have the Environment Protection Act and the Wildlife Protection Act.

Suppose you think that there was no Forest Conservation Act, if there was no Environment Protection Act, what would be status of the Indian forests now? In the Wildlife Protection Act, stringent and strict provisions are there. That is the only reason by which the forest coverage area is protected to an extent and also Wildlife Protection Act is still there. Otherwise, the situation would have been different.

But here in this Bill, you are decriminalising the offences coming under the Water Act. The dilution of these Acts are being done in the name of Ease of Doing Business and Ease of Living. If you critically examine the ten years of BJP Government in office, the Ease of Doing Business is done at the cost of environment and at the cost of the labour. It is quite incidental that both Ministries are being held by the hon. Minister. All these Ease of Doing Businesses are at the cost of the labour and at the cost of the environmental laws. Here also, the same thing is happening. So, I would like to know from the hon. Minister whether you are interested in protecting the labour or capital over the environment or the business community or the industry. Why is this legislation coming? Only one answer is to safeguard the industry, that means it is for Ease of Doing Business.

Sir, now I come to the provisions. By virtue of various provisions in the Amendment Bill, all penal provisions have been freed from imprisonment and will be replaced by penalty except Sections 25 and 26. That means they are totally decriminalising the penal provisions of the existing bill. What is the need of imprisonment? You are well aware as a learned lawyer because it is a deterrent punishment. Imprisonment is a strong and stringent punishment so that the persons will be deterred from doing a crime against the ecology, environment and against humanity. That is the reason for which imprisonment is taken away except in the case of Sections 25 and 26. It reads:

“The Central Government shall be empowered to exempt certain categories of industries from the requirement of prior consent before establishment of an industrial unit.”

It is an absolute discretion with the Central Government. That is why, my learned friend is just saying that the decriminalisation or requirement of getting prior permission before starting an industry, permission has to be obtained from the State Pollution Control Board. That is not required. The Central Government is empowered to exempt the requirement of getting prior permission so as to

start an industry in my district Kollam. What does it mean, Sir? This is a centralisation of power.

Sir, you also belong to my district. In my district, if an industry has to be started and if that industry is exempted from getting the prior permission from the concerned authority, then that can be decided from Delhi. What does that mean? What is the intent of the Bill? Let the hon. Minister explain. Whom are you protecting? Which industry do you have to protect? That is why, I am using the saying that it is draconian. The grant, refusal or cancellation of consent by any State Board to establish and operate any industrial unit, Central Government is authorised to issue the guidelines. That is also there which I have already explained.

An order of adjudicating officer is there. Adjudicating officers are appointed by the Central Government. Adjudicating officer is a rank which is just below the rank of a Joint Secretary. Such an officer is being appointed by the Central Government and there is no limit for the number of adjudicating officers. The Bill is also very vague. It can be interpreted in any way. How many adjudicating officers will be there? Kindly see this. An appeal from the adjudicating officer will lie to the National Green Tribunal. If a common person approaches the National Green Tribunal, how much cost does he have to incur? These are all the issues. The water borne diseases in India is increasing day by day.

(1725/SM/SJN)

Sir, not less than four crore Indians are suffering from these diseases, leading to nearly four lakh fatalities every year. Water pollution is the main reason for this. This is the right time to protect the environment. We have to make the environment related laws more strict and stringent so as to protect the environment, ecology and also the pure water. Right to save water is a fundamental right. The Right to Life is envisaged in Article 21 of the Constitution. When the time has come for having a stringent legislation for protection of environment and prevention of water pollution, this Government and this Parliament are passing a law only just to dilute the water pollution law and decriminalise it. The industries are being pleased by this step.

Therefore, I strongly oppose this Bill. I urge upon the Government and the Minister to kindly send this Bill to the Parliamentary Standing Committee to have a close scrutiny of the Bill. With these words, I conclude my speech. Thank you.

(ends)

1727 hours

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, I convey my thanks to my leader Shri P.V. Midhun Reddy for giving me this opportunity to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024. I support this Bill. It is a very important Bill because all the people, farmers and animals are facing the problem of water contamination.

Many hon. Members have raised many issues. I would like to give some suggestions. First and foremost, we must establish a strict enforcement mechanism to hold industries accountable for their actions. It is essential to implement stringent penalties for those found violating environmental standards including fines, suspension of operations and even criminal charges for repeated offenders.

Furthermore, we must empower our regulatory bodies with necessary resources, authority of monitoring, enforcement and compliance of laws effectively. Promoting pollution prevention technologies is a paramount need in our efforts to minimise the discharge of pollution into water bodies. By encouraging industries to adopt environment-friendly practices and technologies, we can significantly reduce the impact of pollution on our water resources. This could be achieved through incentives such as tax breaks and subsidies for companies investing in sustainable practices.

Sir, we must prioritise the protection of our citizens from contaminated water. Utilising penalties collected under this Bill to fund initiatives aimed at de-polluting water bodies and addressing water-borne diseases is essential. Allocating money to the Environmental Protection Fund for this purpose will ensure that resources are allocated effectively to tackle this critical issue.

Integration of existing programmes relating to environment is crucial for maximising our impact and leveraging available resources. By aligning with initiatives like National Clean Air Programme (NCAP), we



can effectively coordinate our efforts and ensure a unified approach towards environmental protection. Collaboration between different Government Departments, agencies and stakeholders is key to the success of our endeavours.

Lastly, establishing robust monitoring and reporting requirements is essential for tracking progress and promoting transparency. Mandating regular monitoring and reporting of water quality parameters will enable us to measure the effectiveness of our pollution-reducing efforts. Furthermore, establishing mechanism for public access to water quality data and information will foster accountability and trust among the public. Thank you, Sir.

(ends)

(1730/RP/SPS)

1730 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, on behalf of my party All India Trinamool Congress, I strongly oppose this draconian Bill, the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

Sir, the country has seen the quality of its water bodies drastically decline due to unfettered urbanisation, industrialisation and resulting discharge of waste and toxic pollutants over the past decades. Many articles and research papers have been published over many years showing innumerable water bodies across India becoming toxic and simply poisonous. The rivers like Ganga, Yamuna, Godavari, Ghaggar, and Gomti are the most polluted rivers in India. Under the Ganga Rejuvenation Programme, despite spending over Rs. 32,000 crore since 2014, the latest revelation by the Jal Shakti Ministry holds that 71 per cent of the monitoring stations in Ganga have reported very high levels of fecal coliform earlier this year. The National Green Tribunal found that untreated waste water or sewage continues to be discharged in the holy river Ganga unabatedly.

Back in 2018, the Composite Water Management Index released by the then Minister for Water Resources Mr. Nitin Gadkari ji had stated: "India is suffering from "the worst water crisis" in its history with about 60 crore people facing high to extreme water stress, about two lakh people dying every year due to inadequate access to safe water, and the situation has only going to get worse over the years."

Sir, in 1988, some amendments were made to bring in stringent penalties like an increase in fines and imprisonment under Section 41 of the Water Act. But the amendments were proposed to reduce the burden of compliance, decriminalise environment violations by removing imprisonment as a penalty or punishment, the rationale being "to weed out the fear of imprisonment" for simple infractions.

So, my question to the hon. Minister is this. What constitutes a simple infraction? The Bill says, 'simple infringement is when injury to human is not caused'. But, how do you determine injury and over what period of time? There have been cases of children being born with disabilities due to their proximity to polluted water bodies as well as increasing cases of cancer which

manifest after months and years of a water body being polluted. This is a question of national public health, and the lives of Indians are at risk. So, please help me to understand hon. Minister, how do you determine a simple infraction and over what period of time when it comes to polluting such a valuable resource as water without which life itself is impossible.

My second question to the hon. Minister is this. Will the proposed increase in fine increase the cost of non-compliance over the cost of compliance? The upper limit for the penalty specified in the amendments is not enough to deter polluters with enormous resources from polluting. My request to the hon. Minister is that it should be not less than Rs. 10 lakh which may extend upto Rs. 50 lakh. It is also not clear how the penalties will be calculated as the revisions have not established any formula or guidance. While higher penalties are definitely required, penalties alone will not be sufficient. These amendments, if passed, will bring about a situation where polluters will continue to pollute and simply pay the fines instead of investing in proper waste management and waste treatment facilities. That is why, it is important that imprisonment must be there, at least in extreme cases where damages done to any water body are irreversible and there are clear cases of people in the surrounding areas developing serious illness due to consumption of water from that waterbody.

(1735/NKL/MM)

Sir, the amendment also proposes to create a water pollution remediation fund from the penalties collected from the violators, while a part of the fund can be used for the purpose of providing compensation to the affected parties.

Sir, how do you determine affected parties in case irreversible damage is done to a water body rendering it unfit for consumption? ... (*Interruptions*) Once it is polluted and the damage is irreversible, the toxic substances filter into the ground water as well as the soil, penetrating the whole connected ecosystem. So, affected parties cannot just be the people who suffered the consequences immediately but also the future generations who will be impacted in the decades to follow. Therefore, we need laws and amendments that will oblige companies to mandatorily treat their waste, and if they do not do so, they shall not only pay fines but also go to prison in extreme cases.

Sir, when it comes to funds from penalties collected, they shall be dedicated not only to compensate all the affected parties adequately but also towards building new infrastructure and technology that can restore the quality of water in our lakes, rivers as well as the ground water.

Sir, I would like to conclude by reminding this Government that uncontrolled growth is never a good thing. For example, in human body, uncontrolled growth is synonymous of cancer. In the same way, the pursuit of unchecked industrialisation and economic growth, no matter whatever price we pay, is cancerous for the future of our country. The present Government is concerned only with short-term gains and passing amendments like this. It will only make it easier for industries to pollute our precious water bodies, endanger more and more species of flora and fauna and risk the health of crores of Indians. We are sitting on a public health time bomb, and the current Government is leading us into a very dark and worrisome future by multiplying and adding to the already existing problems instead of solving them.

Our fellow Members from the Opposition mentioned about the power to issue guidelines. I can only say that the intention of the Government is only to centralize power by snatching the power from the State Government which is not a good sign for democracy. So, Sir, I once again must say that we the Members of Trinamool Congress strongly oppose this draconian Bill.

Thank you.

(ends)

1738 बजे

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के समर्थन में मैं मेरी पार्टी शिव सेना की तरफ से खड़ा हूँ।

अध्यक्ष जी, आज भू-जल, नदियां, कुएं और समुद्र तक का जल प्रदूषण देखा जाए तो यह एक गम्भीर समस्या है। यह समस्या केवल एक राज्य की नहीं है। यह समस्या पूरे देश की है।

महोदय, भारत में भयानक रूप से फैला हुआ जल प्रदूषण एक कठिन चुनौती है। देश में 1,95,813 बस्तियों और गांवों में पानी की गुणवत्ता खराब है। यह एक बड़ी आबादी के लिए गम्भीर चुनौती पैदा कर रहा है। लेटेस्ट अध्ययन के अनुसार भारत में प्रदूषण के कारण वर्ष 2019 में 2.3 मिलियन से अधिक लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। आज नगरों और महानगरों का चहुमुखी विकास हो रहा है। कोई भी आवासीय परियोजना या औद्योगिक परियोजना सीवरेज उपचार संयंत्र के बिना पूरी नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद नदियों और जलाशयों में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि देश में लगभग 70 प्रतिशत सीवरेज उपचार संयंत्र, एसटीपी, निष्क्रिय हैं।

सभापति महोदय, केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सीवरेज उपचार संयंत्रों का निरीक्षण नहीं किया जाता है।

(1740/YSH/VR)

कई बार कई महानगर इसके ऊपर रोकथाम लगाते हैं और नियंत्रण करते हैं, लेकिन ऐसी कई संस्थाएं हैं, जो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं। इनमें हाउसिंग सोसायटीज़, उद्योग, होटल्स, सरकारी कॉलोनीज़ हैं। ये कई सारी ऐसी बड़ी बस्तियां होती हैं, जिनमें ज्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान कार्यरत नहीं होता है।

सभापति महोदय, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना एक महंगा काम है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की लागत कहीं ज्यादा होने के कारण इसमें बिजली की आपूर्ति, जनरेटर का स्थापन तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान होता है। लेकिन कई सोसायटीज़ यह काम नहीं करती हैं। इसके रखरखाव के लिए भी ज्यादा लागत लगती है। भारत में 1100 से अधिक एसटीपीज़ चालू हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सीवेज उपचार की अपनी क्षमता को पूरा नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के लिए 1920 स्थानों पर 603 नदियों के जल गुणवत्ता के डेटा के विश्लेषण के आधार पर सीपीसीबी ने वर्ष 2022 में जैविक प्रदूषण के संकेत, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर देश के 30 राज्यों में, केन्द्र शासित प्रदेशों में 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की थी। पहचान किए गए खंडों पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। आशा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण के कई कारण हैं जैसे खेतों में पानी छोड़ना, छोटे और नियंत्रित उद्योगों से आने वाले पानी को सीधे नदी या नाले में छोड़ना। आज के समय में

यह हालत गंभीर है। देश में ऐसा कोई भी जलस्रोत नहीं है, जो प्रदूषित नहीं है और हकीकत यह है कि देश में 80 प्रतिशत से ज्यादा जल स्रोत बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। इसमें भी वे जल स्रोत ज्यादा प्रदूषित हैं, जिनके आस-पास बड़ी संख्या में आबादी है। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पानी की क्वालिटी में गिरावट है, जिसके पीने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। देश में, खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के स्तर का एक बड़ा कारण जल प्रदूषण है। दूषित पानी की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। भारत में 80 प्रतिशत से अधिक मरीज पेट के विकार से पीड़ित है, जिसकी वजह प्रदूषित जल है। देश में हर साल साफ पानी न मिलने की वजह से दो लाख लोगों की मौत हो जाती है।

सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, 'हर घर जल' 'हर घर जल', जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में पानी देने की एक सुविधा है। अगर जल शुद्ध नहीं होगा तो हर घर जल कैसे पहुंचेगा। यह बड़ी कठिनाई है। केवल जल प्रदूषण ही नहीं, बल्कि जैसे ज्यादा बारिश होने से तालाबों में, बड़े नालों में मिट्टी जाती है, उससे भी प्रदूषण बढ़ जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर देश के लोगों की हेल्थ सुधारनी है तो शुद्ध पानी देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बिल रखते हुए कहा था कि प्रदूषण बोर्ड की नियुक्ति ज्यादातर हर राज्यों में होती है। ये राजनीतिक तौर पर उसकी नियुक्ति करते हैं।

(1745/RAJ/SAN)

जो इसके जानकार हैं, इसमें उनकी नियुक्ति होना आवश्यक है। इन मामलों पर तत्काल कार्रवाई होने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में जितनी नदियां हैं, वे पूरी तरह खराब हो गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र का केमिकल का पानी नदियों में जाता है। संत ज्ञानेश्वर की आलंदी, जगत गुरु संत तुकाराम महाराष्ट्र का देहू के क्षेत्र पूरी तरह से दूषित हो गए हैं। अगर इन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

(इति)

1745 बजे

**श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर):** सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन) विधेयक, 2024 पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने हेतु इसे वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकरण अधिनियम कुछ औद्योगिक गतिविधियों के व्यक्तियों द्वारा पानी की खपत पर उपकरण लगाने

के लिए 1977 में अधिनियमित किया गया था। यह उपकरण जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत जल प्रदूषण के नियंत्रण और हस्तक्षेप के लिए गठित केन्द्रीय बोर्ड के संसाधनों और राज्य सरकार के विकास की दृष्टि से एक जगह किया गया था।

महोदय, 03 दिसम्बर, 2019 को बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकिनगर के चम्पापुर गांव से ही 'जल जीवन हरियाली योजना' की शुरुआत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा तालाब और नदी का निरीक्षण किया गया था। यह भी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण में बहुत कारगर साबित हुआ। जल बचाना, जल को प्रदूषण से मुक्त करना, जल का नियंत्रण और बटवारा, हर देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिए। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण तथा न्यूनीकरण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना भी है। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन का काम करता है तथा मंत्रालय को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

महोदय जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन बिल, 2024 को 5 फरवरी 2024 को राज्य सभा में पेश किया गया। बिल कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और इसके बदले जुर्माना लगाता है। यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केन्द्रे शासित प्रदेशों में लागू होगा। अन्य राज्य अपने यहां इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य यह है कि उद्योग स्थापित करने के लिए सहमति छूट, राज्य बोर्ड के अध्यक्ष - एक्ट के तहत एसपीसीबी के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार अध्यक्ष के नामांकन के तरीके और सेवा के शर्तों को निर्धारित करेगी। प्रदूषित पदार्थ का बहना एक्ट के तहत एसपीसीबी ऐसी किसी भी गतिविधि को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिससे जलाशयों में हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ बहता हो। अन्य अपराधों पर दंड एक्ट के तहत ऐसा अपराध जिसके लिए सजा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है। तीन महीने तक की कैद या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। दंड निर्धारित करने वाले अधिकारी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव स्तर तक का होना चाहिए। अगर अपराधों का संज्ञान CPCB या SPCB ने कोई शिकायत की है या बोर्ड को नोटिस देकर किसी व्यक्ति ने शिकायत की है तो अदालत अपराध का संज्ञान ले सकती है। सरकारी विभागों द्वारा अपराध - एक्ट के तहत सरकारी विभागों द्वारा किये गए अपराधों के लिए उस विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा, बशर्ते की वह साबित करे कि इस तरह के उल्लंघन से बचने के लिए सम्यक किया गया था।

माननीय उपरोक्त तथ्यों का महत्व, दूरगामी परिणाम और देश के भविष्य को देखते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जल से ही हरियाली है और हरियाली है तो जीवन है।

अतः मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ।

(इति)

(1750/SNT/KN)

1750 hours

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, today I am standing here on behalf of my Party the Biju Janata Dal to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

Sir, this amendment has come after 50 long years. I welcome it on behalf of my Party. But at the same time, I have a few suggestions to make here, through you, to the hon. Minister. मैं पहला स्पीकर जरूर हूँ, लेकिन मेरी पार्टी में दूसरी स्पीकर भी मेरे बाद बोलेंगी, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। I will just in brief point out some recommendations and suggestions. A recent RTI reply revealed that no penalties have been collected under the Water Act for two years from 2020 to 2022 in Kerala. This correlates with the National Crime Records Bureau's data which shows that no cases have been lodged under the Water Act over the past two years in the State. This is really surprising as this means that no violations of the Water Act have been reported over two years. This raises concern about the state of enforcement and monitoring of the Pollution Control Boards in the country.

The Environment Relief Fund under the Public Liability Insurance Act, 1991 has a corpus of Rs. 810 crore lying unutilised. Similarly, Rs. 410 crore collected as Goa Iron Ore Permanent Fund is also untouched. It is surprising. It is clear that what is needed is not new funds but a mechanism to ensure proper utilisation of the collected funds. Hence, as per the amendments, crediting of penalties to EPF is a step in the right direction. However, efforts must be made to ensure funds are efficiently utilised. A three-tier model can be used to access the penalty amount which considers the history of violation, unlawful gains from the act of pollution, and pollution clean up cost for calculating the penalty. Thus, the proposed penalty has components of environmental compensation and punitive deterrents in addition to statutory penalties which are prescribed by the law. What I have understood 'by the law' is that certain mistakes, certain wrongs are done knowingly and certain unknowingly. Perhaps, the hon. Minister wants to convey to us, or through this amendment wants to bring a change that any person who is unknowingly doing any mistake which is not harmful to the humanity or to the environment may be penalised by an amount but not be imprisoned as it used to be till today. But I have a concern from my side. हम लोगों ने एक बहुत अच्छी कहावत बचपन में सुनी थी और पढ़ी भी थी। ऑनरेबल मिनिस्टर को तो ज्यादा पता होगा। Justice delayed is justice denied. जो पैनल्टी लगाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी से नीचे न हो। सर, वह फैसला करेंगे कि कौन सा जुर्म कितना



पीनलाइज किया जाएगा? अगर उनसे कोई अग्रीव्ड है, जिनको पीनलाइज किया गया है, तो वह एनजीटी को एप्रोच करे। But at the same time, if you believe in 'justice delayed is justice denied', केसेस पेंडिंग न रहे, लेकिन यहां पर कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है। ऐसे केसेस में, जिसमें किसी निर्दोष को दोषी ठहराया जाता है या दंडित किया जाता है और वह यदि एनजीटी में जाता है तो किस टाइम फ्रेम के अंदर न्याय जाएगा? Kindly look into this matter also. There has to be a timeframe to this.

While reconsidering that penalties are important, another point is that penalties must not become an excuse to pollute. It is not like that these amendments advocate a pay-and-pollute principle. That has effectively become pay-and-pollute principle and that is why it is important that imprisonment must be a possibility at least for extreme and very, very extreme crimes or mistakes. Sharing of data and coordination between bodies responsible for addressing ground water pollution, such as State Government departments, Pollution Control Boards and agencies, such as CGWA must be encouraged.

While finishing my speech, Sir, I would just like to point out one or two things. While we are talking on prevention of pollution or checking pollution of water and environment, we must also talk about saving water. इन 75 वर्षों में, हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने अमृत सरोवर की घोषणा की थी। If I am not wrong, as I got to know from the speech of hon. Minister in the other House, the Rajya Sabha, that he is very happy that the target has been achieved by the Government of India.

(1755/AK/VB)

I would like to know what is the target for it. It will be very good if the hon. Minister gives a clarification and data on this issue.

We humans, ऐसे कितने भी लॉज बन जाएं, ऐसे कितने भी अमेंडमेंट्स क्यों न आ जाएं, unless and until we are aware and we are committed to ourselves कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इसमें चेक करें कि कैसे पल्यूशन को कम किया जाए और कैसे हम पीनलाइज न हो, हमसे कोई गलती न हो। इस पर भी हम लोग सोचें, क्योंकि we all are public representatives and elected representatives. So, on behalf of all of us, I would like to convey an overall message to the nation that we also must support the Government in such an Act, and if such amendments are coming, which are for the betterment of the society and the environment, then we also must make a collective effort from our end by checking pollution and checking crime. Thank you so much. Jai Hind! Vande Matram!

(ends)

1756 बजे

**श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) :** माननीय सभापति महोदय, आज जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण (संशोधन) बिल, 2024 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं।

जैसा कि विदित है कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन बिल, 2024; 5 फरवरी, 2024 को राज्य सभा में पेश किया गया था और यह 6 फरवरी, 2024 को पास पास हुआ था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राज्य संघ क्षेत्रों में जल प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से बने हुए कानून को और सशक्त बनाकर पूरे देश में बढ़ रहे जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यदि कोई व्यक्ति जल प्रदूषण करता है, तो पहले डेढ़ वर्ष की जेल और फाइन दोनों सजा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इस बिल का मकसद जेल की सजा को हटाकर उसके स्थान पर आर्थिक दण्ड के रूप में 10 हजार रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक करने का प्रावधान है।

महोदय, मेरा मानना है कि जल प्रदूषण दो प्रकार से होता है। एक तो मानवीय और दूसरा प्राकृतिक रूप से। मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती है, जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, पिछड़े जनपदों- श्रावस्ती, रामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर के साथ-साथ अन्य जनपद भी आते हैं। हमारे यहाँ जब राप्ती नदी में बाढ़ आती है तो इतनी गंभीर समस्या पैदा कर देती है, जैसे किसानों की फसलों का नुकसान होना, इसके साथ-साथ इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि तमाम किसानों के जानवर, जीव-जंतु आदि की मृत्यु हो जाती है और उसके कारण नदी में भयंकर प्रदूषण हो जाता है।

इसलिए पूरे देश समेत, इस प्रदेश की स्थिति को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से चाहूंगा कि वे ऐसी भयंकर स्थिति से निपटने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो पिछड़े जनपद हैं, के अंतर्गत आने वाली राप्ती नदी के दोनों किनारे पर ऊँचे बांध बनाकर और पानी को रोकने का प्रयास किया जाए। हमें लगता है कि हर साल आने वाली बाढ़ से कई हजार घर नदी में समा जाते हैं और काफी संख्या में किसानों के जानवरों की भी मृत्यु हो जाती है। जब वर्ष 2021 में बाढ़ आई थी, तो मैं स्वयं वहाँ गया था। वहाँ मैंने देखा था कि गांवों के तमाम जानवर नदी में बह गये थे। ऐसी स्थिति में सरकार की जो मंशा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि यदि जल प्रदूषण को रोकना है, तो इस तरह के कदम उठाने होंगे।

इसलिए मैं भारत सरकार से यह मांग करते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और मेरी पार्टी भी इस बिल का समर्थन करती है।

जिस तरह से, हमारे क्षेत्र में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि यदि उसे रोकने का काम किया जाता है, हमने नदी के दोनों किनारे पर बांध बांधने की जो बात कही है, उसे बनाए जाएं ताकि लोगों में जल-जनित रोगों की वृद्धि न हो सके।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1800/UB/CS)

1800 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I am in a dilemma and I hope the Chair will guide me and the hon. Minister in his reply will give clarification for all of us because he is a very effective Minister. Even if I am in opposition, I must compliment him. अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। He is a very competent Minister.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): He is a very competent Minister.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I can expect a little more of him because he is very competent, but the Bill he has brought is not making me feel that confident. I would ask him some questions. I am not taking away from the intent. As I always say, नीयत हर सरकार की अच्छी होती है। But what matters is how you implement it and what the outcomes are.

I appreciate the Bill but I feel it is like a toothless tiger because it really has no power and I would like to make some comparison. I would like to take it back to the National Water Academy, Central Water Commission जो पूना में है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही है। This is a very good academy but the problem in this academy is that it does not have enough staff. How is this Government mapping pollution and water? I think we need to start from the base. बेस में ही जाना चाहिए, आगे सरकार क्या करेगी, इंडस्ट्री क्या करेगी, वह सब होगा। Has the Government mapped all the pollution? नॉर्मली किसी भी न्यूजपेपर में आ जाता है कि this is red or this is green. So, whenever I visit the National Water Academy, the first complaint is that they do not have enough staff. What is the role and the scope of this entire Commission? What is the outcome of this Commission? Today, this question is related to this Bill.

The first impact that comes to me is on cooperative federalism. हमारे पुराने हाउस में Arun Jaitley ji's entire focus used to be on cooperative federalism. He was a great supporter and a champion of cooperative federalism every time. After Arun ji, I must say that this Government is not as proactive in cooperative federalism as it used to be. Now, this entire Bill is actually taking away a lot of powers from the States. That is very, very alarming to me. There is a sort of an unsaid rule that comes to my mind. By taking away the power from the States to reject or to accept, I appreciate your standardization, such things should be

standardized, is it going to be crony capitalism? It is something that worries me.

HON. CHAIRPERSON: If the House agrees, we may extend the time of the House till this Bill gets passed.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, if the State takes a decision, the Centre will supersede it. I am playing devil's advocate in this situation. What if there is a State which may be of a different ideology than yours? Let us not make this law where it is a tug of war between the two different ideologies and the outcomes will be hurting the industry.

I come from one of the most industrialised States in the country. So, we support the industry and I am never ashamed of saying that this is good. इंडस्ट्री होनी ही चाहिए, उनको सपोर्ट करना ही चाहिए, because they create wealth and jobs. All the jobs cannot be done by the Government. The Government also creates jobs like it has brought Mudra, but the industry also contributes extraordinarily in creating wealth and jobs. So, we must support them. My question to the Government is how will they manage this balance between the States and the Centre.

The other thing is that it is completely anti-federal now. I just seek clarification. I understand from whatever I have read in the Bill that your intention is that the Chairman will be decided by the State, but the rules and regulations will be decided by you. There is no nomination or any role. I just seek clarification on that point. The second thing is that you are talking about imposing a penalty of Rs. 15 lakhs and the punishment has been removed. I am a big supporter for removing imprisonment because by putting people in jail, solutions do not come out. There are so many companies involved in financial frauds.

(1805/SRG/IND)

आप जेल में डाल देते हैं, बैंक डूब जाता है और वह बेचारा जेल में पड़ा रहता है। So, I feel some financial frauds need to be brought up in this House. There are so many intelligent minds sitting on both the sides and I want to ask them if imprisonment a solution to every crime. Three days ago, in the Public

Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill which was passed, there is a provision for fine of Rs. 1 crore if there is a syndicate which is involved in copying. I am not asking for imprisonment at all. I am against that. But the whole point is that if you copy, the fine imposed is Rs. 1 crore, but if you pollute, it is so less.

Can we at least connect it to the size of the pollution? It could be a very big organization which is just polluting. It could be a big multinational which is polluting. उनके लिए 15 लाख रुपये कुछ नहीं होंगे, वे भर देंगे और आगे निकल जाएंगे। So, can you explain to us the mechanism to control this pollution? In my Parliamentary constituency, there are two places where pollution is reaching an all-time high. One is Ujjani and there is another place called Kurkumbh which is a chemical area. All the big boys have invested there. A lot of pharmaceutical companies are there. There is always a tug-of-war. फार्मास्यूटिकल कम्पनीज कहती हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। बाहर का किसान कहता है कि यह प्रदूषित पानी है और हमारी जमीन खराब हो रही है। What are the checks and balances for this?

The other big gap which I feel is missing in this is urbanization. Sir, you see buildings are coming up everywhere. All the sewage coming out of all the societies goes untreated. Khadakwasla Dam is one of the biggest dams in Pune city which supplies drinking water to Pune city.

All the people who are living in new societies or coming over there and there is no control on the sewage. I have spoken to the hon. Minister and he has been very indulgent and helpful in supporting Pune Municipal Corporation in solving that problem. So, why should this be limited only to industry? Why can we not expand the role to all these municipalities because municipalities today are getting away with murder on polluting. Pune city today is destroyed because of urbanization. Mumbai water is destroyed because of urbanization.

Urbanization is a huge opportunity. With bridges and metros, the cities do get made. But if the city has a beautiful metro, beautiful bridges, beautiful roads, and polluted water, what is the point of it? The whole game of this infrastructure does not help. So, I request the hon. Minister to

clarify some of our doubts. If he clarifies it, we will be happy to support him because I trust the Minister. I am not sure about the whole Government, but I am very confident that he is a very good and a kind Minister. So, he could kindly clear our doubts and ensure that industries, societies and buildings are held accountable. There has to be a mass movement in this country about awareness. I moved a Private Members' Bill on this because drinking water is somebody's basic right.

In 21<sup>st</sup> century there is so much artificial intelligence. I would like to make one last point. In farming we are using a lot of AI. To check pollution, is it possible to use Artificial Intelligence? We are using it in Baramati. We are trying AI with Oxford and Microsoft to help us improve farming and improving growth and development. Is there a possibility that the same technology can be used for water? I just want these small clarifications.

Thank you.

(ends)

1808 बजे

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** सभापति जी, यह जो संशोधन कानून लाया गया है, यह जल प्रदूषण के साथ संपर्क रखता है। यह बहुत अफसोस की बात है कि बार-बार केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक व्यवस्था में देश आज विश्व गुरु बन चुका है लेकिन यह दुख के साथ कहना पड़ेगा कि प्रदूषण के मामले में भी आज हमारा भारत देश एक विश्व गुरु बन चुका है। यदि वायु प्रदूषण की बात करें तो दुनिया में सबसे 10 जहरीले शहर, जहां सांस लेना भी जान को जोखिम में डालना होता है, उनमें भारत भी है। यदि जल प्रदूषण की बात करें, तो नीति आयोग ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में कबूल किया है कि दुनिया भर के 122 देशों में जहां जल प्रदूषण एक संवेदनशील मामला है, उन 122 देशों में इंडिया का रैंक 120वां है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि यहां 70 प्रतिशत सरफेस वॉटर यदि हम पीते हैं, तो वह हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। गंगा, जिसकी हम सब पूजा करते हैं, माँ गंगा में लगभग 40 हजार मिट्टिक टन का सिवेज जाता है। यमुना में जहां लोग छठ पूजा के लिए जाते हैं, तो हमने वह चित्र देखा है कि चारों तरफ प्रदूषित झाग है और इस प्रदूषित झाग में हम छठ देवताओं को पूजते हैं। यह कितने दुःख की बात है।

(1810/RV/RCP)

सर, असम में भी हमारे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि 10 नदियों में ऐसे 11 स्ट्रेचेज हैं, जो बहुत प्रदूषित हैं। उन नदियों में भाराली, बेगा, धनसिरी, खरसांग, मोरा भाराली हैं। यह बहुत दुःख की बात है कि भारत नदियों का देश है और इस नदियों के देश में हम अपनी नदियों में हर दिन बिना ट्रीटमेंट किया हुआ कचरा, चाहे वह इंडस्ट्री का हो, चाहे हमारे घरों का हो, उसे डाल रहे हैं।

बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार नदियों में या वॉटर बॉडीज में जितना यह कचरा डालता है, हमारा भारत देश उसमें से केवल 13 प्रतिशत कचरे को ही ट्रीट कर पाता है। यह जो हम सबसे चूक हो रही है, इसमें मैं राजनीति नहीं लाना चाहूंगा, पर, इस चूक का क्या प्रभाव हो रहा है? इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। आज उन्हें टायफॉयड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो रही हैं। हम खुद इसे असम और पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि आर्सेनिक के कारण कितनी बीमारियां हो रही हैं। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में लोग ऐसा पानी पी रहे हैं, जिसमें कार्सिनोजेनिक तत्व पाए गए हैं। इसके कारण लोगों की किडनी की बीमारी हो रही है और इसके कारण उन्हें अपने मेडिकल पर बहुत खर्च करना पड़ रहा है।

महोदय, इस संदर्भ में मैं बहुत दुविधा के साथ यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में एक रिपोर्ट के हिसाब से यह बताया गया था कि वर्ष 2017 में चम्पानगर में माँ गंगा में लगभग 21,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर फीकल बैक्टीरिया मिला था। वर्ष 2021 में यह बढ़ गया। वर्ष 2021 में उसी स्थान पर माँ गंगा में यह फीकल बैक्टीरिया 21,000 से बढ़ कर 31,500 एमपीएन प्रति 100 एम.एल. मिला। यह कितने दुःख की बात है। उसके बावजूद भी सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। वह कहती है कि काम हुआ है, इसमें प्रगति हुई है। क्या प्रगति हुई है? वर्ष 2018 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 351 पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज मिले और वर्ष 2022 में वही 351

पॉल्यूटेज स्ट्रेचेज 311 हो गए। बस इतना ही कम हुआ। इसी को लेकर ये खुश हो रहे हैं कि चार सालों में 351 से 311 हो गए। मुझे लगता है कि इसे लेकर सरकार को अपनी पीठ थपथपानी नहीं चाहिए, बल्कि आपको और सतर्क हो जाना चाहिए। इसीलिए, हम अपेक्षा करते थे, जैसा कि आदरणीय सुप्रिया जी ने कहा कि हमारे जो मंत्री जी हैं, उन सभी के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन उनका जो विभाग है, वह अब पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि उनका विभाग अब उद्योगों की रक्षा का विभाग बन चुका है, ताकि उद्योगों की रक्षा हो और उन्हें आसानी से और ज्यादा क्लियरेंसेज मिलते जाएं, जल्दी क्लियरेंसेज मिलते जाएं। यह पूरा विभाग पर्यावरण संरक्षण से हट कर अब उद्योग के संरक्षण का विभाग बन चुका है। यह हो सकता है कि वे इतने सज्जन हैं, इसलिए उनका मिस-यूज किया जा रहा है। अगर उनकी वाणी में हमारे प्रति कटुता होती, हमें गाली देते, तो शायद उन्हें एक और शक्तिशाली विभाग मिलता और उन्हें और शक्ति मिलती। पर, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वे सज्जन हैं। सज्जन व्यक्ति होने के नाते उन्हें एक कमजोर मंत्रालय और एक कमजोर कानून की जिम्मेदारी मिली है।

सर, वर्ष 2018 में माँ गंगा में क्या हो रहा था?... (व्यवधान) हमें बोलने दीजिए। हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं। गंगा की बात तो सुनिए। 'नमामि गंगे' पर आपने कितने करोड़ रुपये खर्च कर दिए, पर क्या हो रहा है? वर्ष 2018 में 'नमामि गंगे' में लिखा गया – out of the 10 river systems in the world, the river Ganga carries 93 per cent of the plastics which ends up directly in the oceans. बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं... (व्यवधान) आप इसके बारे में तथ्य दे दीजिए। मैं तथ्य मांगता हूँ। 'नमामि गंगे' में आपने लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं, उसका विवरण दीजिए।

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं इसकी सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर नहीं डालना चाहता हूँ। माँ गंगा के तट पर बहुत-से छोटे-छोटे उद्योग हैं, छोटे-छोटे टैनेरीज हैं... (व्यवधान)

(1815/PS/GG)

Sir, I am not yielding. ... (Interruptions) No, I am not yielding. He is not quoting a Rule.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Rudy ji, he is not yielding. You can speak later.

... (Interruptions)

**श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** माँ गंगा के तट पर बहुत सी टेनेरीज हैं, कैमिकल इंडस्ट्रीज हैं, स्लॉटर हाऊसेज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आदि ये छोटे-छोटे उद्योग हैं। इनको भी अपना



इंडस्ट्री एमिशन साफ करना है तो इनको भी मदद चाहिए, पैसे चाहिए, क्रेडिट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। इसलिए ऐसे-ऐसे छोटे उद्योगों को तो हम पनिश नहीं कर सकते हैं या माइक्रो, मीडियम और स्माल इंडस्ट्रीज़ को पनिश नहीं कर सकते हैं। ऐसे छोटे और मध्यम उद्योगों को केंद्र सरकार क्या मदद करेगी हम वह भी जानना चाहते हैं। साथ ही, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये बड़े उद्योगों पर कितनी सतर्कता से अपनी नज़र रखेंगे। आज कॉपर में पानी का बहुत इस्तेमाल होता है और बहुत सारा इंडस्ट्री एमिशन होता है। सर, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर मैनुफैक्चरिंग प्लांट, कच्छ कॉपर लिमिटेड कुछ ही महीनों पहले उद्घाटन हुआ, जिसमें एक मिलियन टन कॉपर का प्रोडक्शन होता है, जिसका मालिक वर्तमान सरकार के बहुत करीब है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, सब समझ चुके हैं, जो सरकार के सबसे करीबी उद्योगपति हैं, यह उन्हीं की फैक्ट्री है। ऐसे कॉपर प्लांट पर केंद्र सरकार क्या निगरानी रखेगी, यह हम जानना चाहते हैं। सर, वैसे तो यह बिल राज्य सरकार की ताकत को कम करने वाला है, लेकिन इसके जो दो मूल उद्देश्य हैं, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं जो हाथी के दांत छुपाए हुए हैं, वह सैक्शन 4 में है। It says, 'Provided that the Central Government, by notification in the Official Gazette, exempt certain categories of industrial plants from the provisions of this sub-section'. ये कैटेगरीज़ कौन सी हैं, इसका कोई विवरण नहीं है। कब पता चलेगा, इसका कोई पता नहीं है। दूसरा, सैक्शन 5 में यह है कि Section 5 says, 'Notwithstanding anything in this Act, the Central Government in consultation with the Central Board, may, by notification in the Official Gazette, issue guidelines on the matters relating to the grant, refusal or cancellation of consent by any State Board'. तो बीच-बीच में ये नोटिफिकेशन निकालेंगे और स्टेट बोर्ड ने अगर कोई कदम लिया, जो इनको मंजूर नहीं है तो स्टेट बोर्ड की परमिशन कैंसल कर सकते हैं। इसलिए ये दो मेन चीजे हैं। हम तो इन पर विवरण चाहेंगे कि क्या रूल्स हैं? क्या यह पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है? केंद्र सरकार बार-बार ऐसे वेग कानून लाती है, और पूरी रूल मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्मेंट के किसी कर्मचारी को दे देते हैं या जॉइंट सैक्रेट्री को दे देते हैं और बीच-बीच में गज़ेट नोटिफिकेशन निकाल कर पूरी इंडस्ट्री का रेग्युलेशन आज बिल के द्वारा नहीं गज़ेट नोटिफिकेशन के द्वारा हो रहा है। तो हम लोग यहां पर किस लिए हैं? क्या हम यहां पर सिर्फ डिबेट करने के लिए हैं? हम कोई रूल नहीं बना रहे हैं, हम कैटेगरीज़ लिस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि बिल में और डीटेल्स लाइए। Give us the list of the categories. What are those rules? Why do you not put them in this Bill? That is what we want. सर, इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि इसमें राज्य सरकार का उल्लेख क्यों नहीं है। सैक्शन 4 और सैक्शन 5 में कहीं नहीं लिखा कि 'Provided that the Central

Government in consultation with the State Government'. आपको एग्जंप्ट करना है तो कीजिए, गजट नोटिफिकेशन निकालना है तो निकालिए, लेकिन राज्य सरकार के साथ कंसल्टेशन कर के तो कीजिए। क्या राज्य सरकार सक्षम नहीं हैं, कुछ इंडस्ट्री कैटेगरी को एग्जंप्ट करने के लिए? क्या राज्य सरकार सक्षम नहीं हैं कि वॉटर, जो स्टेट का विषय है, उसके लिए ऑफिशल नोटिफिकेशन लाने के लिए? आप इस प्रकार के कानून क्यों ला रहे हैं? अगर आपको वास्तव में जल प्रदूषण की चिंता होती तो आप सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड को मज़बूत करते। वहां पर जो पद रिक्त हैं, उनको भरते। अगर आप सचमुच में सतर्क होते तो सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड को और फंडिंग देते। अगर आप सचमुच में सतर्क होते तो रिसर्च पर ध्यान देते। डेटा, वॉटर पॉल्युशन, हाटस्पॉट, मॉड्यूलिंग जिसका उल्लेख सुप्रिया जी ने किया है, उस पर ध्यान देते।

अंत में अगर आप सचमुच में सतर्क होते तो कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देते। ये जो विभिन्न कानून हैं, इसके जो छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स हैं, सैक्शंस हैं, अगर आप लोकल पंचायत में जाएंगे, लोकल अर्बन बॉडीज़ में जाएंगे, म्यूनिसिपल बॉडीज़ में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो उनको कुछ भी पता नहीं है, तो किस प्रकार से आप इंडस्ट्री और लोकल सरकार के बीच में, लोगों के बीच में किस प्रकार से अवेयरनेस करेंगे?

अगर आप इस प्रकार के कानून लाते हैं, तो आज हमारा देश, जिसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर और शहरीकरण हो रहा होगा। इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए आप एक ठोस कानून लाते, न कि ऐसा कमज़ोर जो आप ला रहे हैं, उसको लाते, इसका हम घोर विरोध करते हैं।

धन्यवाद।

(इति)

(1820/MY/SMN)

1820 बजे

**श्री गणेश सिंह (सतना):** सभापति महोदय, मैं (जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक 2024 का, जो राज्य सभा से पारित होकर यहां पर माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है, समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक की सबसे खास बात यह है कि जहां (जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 पर्यावरण को भी संरक्षण प्रदान करेगा और उद्यमी को भी संरक्षण प्रदान करेगा।

महोदय, इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नियुक्ति प्रक्रिया को भी डिफाइन किया गया है। जिन उद्योगपतियों को सजा का डर रहता था, जेल जाने का डर रहता था, उससे मुक्ति देकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जुर्माना राशि होगी, वह पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जाएगी।

महोदय, वैसे तो यह बात सही है कि जल संविधान की सातवीं सूची के अनुसार राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार को दो से अधिक राज्य अगर अपनी विधान परिषद में संकल्प पारित करते हैं तो उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें जल अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसरण में अर्थात् असम, बिहार, गुजरात, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के राज्य परिषदों ने बकायदा प्रस्ताव पारित करके भेजा है। इस अधिनियम में आठ अध्याय और 64 धाराएं हैं। केंद्र सरकार ने इसमें नोटिस लिया और इसका संशोधन विधेयक लेकर आई है। इसमें अभी तक जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के बारे में मैं बता दूँ। अभी गौरव गोगोई यहां कह रहे थे, मुझे लगता है कि वह उद्योग के विरोधी हैं। ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्या देश के विकास में उद्योगों की जरूरत नहीं है? हालांकि वह बड़े उद्योगों का विरोध कर रहे थे और छोटे उद्योगों की बात पूछ रहे थे। मौजूदा अधिनियम में विभिन्न दण्डात्मक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, जो वर्तमान के कानून में था। धारा 20, 32 और 33ए के तहत जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को तीन महीने तक की कैद या जुर्माने से दंडित किया जा सकता था। धारा 30 और 31ए का उल्लंघन करने पर एक साल की अवधि के लिए दंडित किया जा सकता था। ऐसी अवधि जो एक वर्ष या छह महीने से कम नहीं होगी। इसे छह साल तक बढ़ाया जा सकता है। उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि विफलता जारी रहती है तो अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। ऐसी विफलता जारी रहने पर इस विफलता को दोषी ठहराने के बाद किया जाता है। यदि उल्लिखित विफलता दोष सिद्धि की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि से अधिक जारी रहती है तो दोषी पाए जाने पर अपराधी के कारावास की सजा होगी, जो दो साल से कम नहीं होगी। इसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है।

महोदय, यह इतना कठोर कानून था, जिसमें तमाम सारे उद्योगों को बड़ी कठिनाई हो रही थी। हमारी सरकार इसमें कुछ नए संशोधन लाकर, इसे राज्य सभा में पारित करके लोक सभा में लेकर आई है। जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रस्तावित संशोधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं- “राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके और योग्यता को एक समान बनाने और प्रक्रिया में सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है।” अभी तक अलग-अलग राज्यों के नियम हैं, अलग-अलग प्रदूषण बोर्ड बने हुए हैं, अलग तरीके के उनके नियम कानून हैं।

दूसरा, वायु प्रदूषण की रोकथाम के नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन या गैर अनुपालन के एक निर्णायक अधिकारी द्वारा जुर्माना लगा कर निपटाया जाएगा। हालांकि लोगों को स्थापित और संचालित करने के लिए पूर्व सहमति से संबंधित अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत घोर उल्लंघन करने से रोकने के लिए धारा 25 और 26 के तहत अभियोजन के प्रावधान को बरकरार रखने की आवश्यकता है, जो आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता है। इसमें प्रावधान किया गया है। धारा 25 और 26 के तहत अभियोजन का प्रावधान एक नई धारा 45(ड) डालकर निपटाया जाएगा। धारा 20, 24, 32, 33ए, 42, 45ए और 48 से संबंधित उल्लंघनों को अदालत में अभियोजन के स्थान पर वित्तीय दंड के आधार पर निपटाने का प्रावधान किया गया है। मैं मानता हूँ कि यह बहुत सराहनीय कदम है। इसे माननीय मंत्री जी बिल में प्रावधान करके लाए हैं।

महोदय, यह संशोधन छोटे अपराधों के लिए कारावास के डर को खत्म कर देगा और व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक कदम है। प्रस्तावित दंड छोटे उल्लंघनों में अभियोजन के उत्पीड़न के बिना उल्लंघनों के खिलाफ एक निवारक भी साबित होंगे।

(1825/CP/SM)

ये प्रस्ताव सभी न्याय क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को एक समान बना देंगे, ताकि उद्योगों को कई अलग-अलग अनुपालनों का पालन न करना पड़े। यह वाकई में एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। यह बात सही है कि जल एक बड़ा विषय है। जल प्रदूषण, जल का संरक्षण और उद्योगों से निकलने वाले जल का ट्रीटमेंट कैसे हो, यह बहुत बड़ा विषय है। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसे बहुत गम्भीरता से लिया और अलग जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, जलजीवन मिशन योजना बनाई। उन्होंने पानी के संरक्षण के लिए 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए हर जिले में जो प्रावधान किया, उसके बहुत सार्थक परिणाम आए हैं। अभी पूछा जा रहा था कि इसके क्या परिणाम हैं? माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे। सच्चाई यह है कि गांव-गांव में इतना जबरदस्त इसका प्रचार हुआ कि बरसात के पानी को कैसे रोका जाए, जल संरक्षित किया जाए और अमृत सरोवर बहुत सार्थक तरीके से पूरे देश में बनाए गए हैं। मैं मानता हूँ कि जिन राज्यों में दूसरी विचारधारा की सरकारें हैं, वहां उतना अपेक्षित सहयोग नहीं मिला होगा और हो सकता है कि वहां कुछ कमी रह गई होगी।

जहां तक नमामि गंगे योजना का सवाल है, तो नमामि गंगे योजना में बहुत बेहतर तरीके से काम चल रहा है। मैं गौरव गोगोई जी से कहना चाहता हूं, वर्ष 2004 से 2014, दस सालों तक उनकी सरकार थी और दस सालों में वे भी सांसद थे, मैं भी सांसद थे, लेकिन इस तरह की कोई योजना बनाने का कभी भी कोई प्रयास नहीं हुआ। न तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किए गए, न जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किए गए। ऐसा कोई कानून बनाने का काम नहीं हुआ। आज यहां पर जो वे कह रहे हैं, चूंकि उनको विरोध करना ही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। नमामि गंगे के संबंध में एक बात मैं जरूर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने बहुत काम किया है। झीलों के संरक्षण में रामसर साइट्स देखिए। आजादी के 75 वर्ष होने पर भारत की 75 वॉटर बॉडीज़ को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। उसमें एक-दो साइट्स हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं।

गंगा नदी में सहायक नदियां मिलती हैं। मेरा लोक सभा क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश है। टमस नदी और सतना नदी, ये दोनों शहर के पास निकलती हैं और जाकर गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती हैं। आज वहां बहुत बड़ी मात्रा में जलकुम्भी हो गई, जल प्रदूषित हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? गुजरात में साबरमती नदी का जिस तरह से ट्रीटमेंट हमारे उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी जब थे, उन्होंने तब किया था। वाकई में वह देखने लायक है। वह देश में एक मॉडल टाइप का है। सभी नदियों का उस तरह से कैसे संरक्षण किया जा सकता है? हालांकि यह मामला माननीय मंत्री जी के विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, यह जल शक्ति मंत्रालय का विषय है। वही इसे करेंगे। जल संरक्षण के मामले में बात हो रही है, जल प्रदूषण के मामले में बात हो रही है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारी जमीन के नीचे जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और प्रदूषित जल आ रहा है। आज इसीलिए हमारे प्रधान मंत्री जी जलजीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल पहुंचे, शुद्ध जल लोगों को पीने के लिए मिले, एक विशेष बड़ा अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। बहुत सफल तरीके से, अब तक लगभग 11 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंच चुका है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में बाणसागर से एक-एक गांव में, एक-एक घर में नल से जल पहुंचाने के लिए साढ़े 6 हजार करोड़ रुपये की एक स्कीम चल रही है, जो लगभग 70 पर्सेंट पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में जब वह पूरी होगी, तब हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का काम कर सकेंगे। वाकई में उद्योगों के समक्ष कठिनाई है। उद्योगों का जो प्रदूषित जल निकलता है, वह कहीं न कहीं से नदियों में पहुंचता है। उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इजरायल जैसा छोटा देश 62 पर्सेंट जल का उपयोग ट्रीटमेंट जल से कर रहा है। हमारे यहां हालांकि 4 पर्सेंट पानी है। देश की आबादी 17 पर्सेंट है, लेकिन पानी हमारे पास कम है, 4 ही पर्सेंट है। हमें कहीं न कहीं पानी के संरक्षण के बारे में भी काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार बेहतर तरीके से इसमें काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि इसमें और विशेष रूप से कुछ प्रावधान किए जाएं। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

(इति)

(1830/NK/RP)

1830 बजे

**श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** सभापति महोदय, इस बिल के माध्यम से सदन में एक महत्वपूर्ण विषय डिस्कशन के लिए आया है। आज वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसके साथ-साथ जल प्रदूषण भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोनों प्रदूषण के दुष्परिणाम मानवीय जीवन पर होता है। खासकर जलवायु प्रदूषण का विपरीत परिणाम जिस भारी मात्रा से मानवीय जीवन पर हो रहा है, इसके साथ-साथ सामाजिक जीवन पर भी हो रहा है।

माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल लाए हैं, उसका हम समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन जरूर रहेगा कि इस बिल को आज मंजूरी न करते हुए पार्लियामेंटरी कमेटी के पास भेजें और इस पर भारी चर्चा करें। प्रदूषण के खिलाफ और पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले एक्सपर्ट्स की राय इस बिल के माध्यम से लेने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, खासकर वॉटर पोल्यूशन में कई तरह के होते हैं। मानव निर्मित वॉटर पोल्यूशन एक गंभीर गुनाह होना चाहिए। मानव निर्मित वॉटर पोल्यूशन को अनदेखा या छुटकारा देने की कोशिश यदि इस बिल के माध्यम से होती है तो मानव जाति या देशवासी के साथ बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा।

सभापति महोदय, कई जगह पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज होती है, केमिकल फैक्ट्री होती है। ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज में एसटीपी प्लांट लगाने की आवश्यकता होती है। अगर मुझसे पूछें, मेरे क्षेत्र रत्नागिरी में लोटे परशुराम की केमिकल प्लांट है, वहां से हर वर्ष भारी मात्रा में प्रदूषित पानी नदी में छोड़ा जाता है जिससे भारी संख्या में मछलियां मर जाती हैं और लोगों को बीमारी भी सहन करनी पड़ती है। ठाणे, पालघर जिले में बोईसर जैसी बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है। वहां समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां भी ऐसी स्थिति होती है। पानी प्रदूषण के दुष्परिणाम को देखें तो मानवीय जीवन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बुरा असर करने वाला प्रदूषण जल प्रदूषण होता है। ऐसे जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Member, please conclude.

... (Interruptions)

**श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** सभापति महोदय, सिर्फ हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को देखकर अगर कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका इम्प्लिमेंटेशन तो सारे देश में होगा। इसका अमल पूरे देश में होने वाला है। अगर

ऐसे चोर लोगों को पनिशमेंट करने की बजाए छुटकारा देने का कानून तैयार करते हैं तो चोरी करने वाला और आगे जाएगा। पानी की शुद्धता और पानी शुद्धता का महत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझाया है इसीलिए उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया। आज वैसे ही कई जगहों पर शुद्ध पानी की आवश्यकता है, ऐसी पानी देने की बजाए जल प्रदूषण करने वाले लोगों को कारावास दें, ऐसा मेरा नहीं कहना है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

... (Interruptions)

**श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** सभापति महोदय, लेकिन जो ऐसे गुनाह करने वाले हैं, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दस हजार रुपये, पन्द्रह हजार रुपये भरेंगे और छूट जाएंगे तो ऐसे गुनाह करने वालो और आगे जाएंगे, ऐसा न हो। इसमें अपीलिय अथॉरिटी एनजीटी को रखिए। आज इस बिल में एनजीटी का महत्व बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ। डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें कोई ऑफिसर आ जाएगा कि पन्द्रह हजार रुपये की पैनल्टी लगानी चाहिए, इसके लिए जो ऑफिसर आएगा, उसको संभालने के लिए देना-लेना होगा, वह काम ज्यादा होगा। कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर ऑफिसर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कार्रवाई के खिलाफ एनजीटी के पास गए, ऐसे ऑफिसर के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसे भी जानने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

(इति)

(1835/NKL/SK)

1835 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, thank you for allowing me to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024 on behalf of CPI(M).

Sir, all of us know that the amount of clean water sources on Earth is alarmingly decreasing. According to the WHO report, many people do not have access to clean water. But the trend of polluting drinking water sources is increasing. It is a truth, Sir. It is important to keep the drinking water clean. But at the same time, industrialisation should also take place for the growth of the country. The State Pollution Control Boards are working to reconcile these two goals. For this purpose, the Government of Kerala has started an initiative known as 'Haritha Keralam', that is, the Green Kerala Project. Under this, various activities are going on in the State of Kerala.

1836 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

Sir, almost every State of our country is promoting ease of doing business. So, we should understand one thing. All the matters relating to water conservation except inter-State water conservation, come under the State jurisdiction. It is unconstitutional to encroach upon the powers of the State Pollution Control Boards beyond what is stated in a general standard. Sir, this Bill is actually drafted in such a way that it interferes with the guidelines of the State Pollution Control Boards. The Central Pollution Control Board shall not be empowered to cancel the license granted by the State Pollution Control Boards. Therefore, the State Governments are the main stakeholders, and they are the real owners of the water bodies in the States. So, bringing any amendment against the interests of the State Governments means concentration of the power at the Centre.

Sir, after this Government came into power, the Central Government has enacted a lot of legislations on various matters falling under the jurisdiction of State Governments as specified in the Constitution. I am not going into much detail because of the time constraint. So, I am of the opinion that this legislation should not be passed now. This should be sent to the concerned Standing Committee again for further discussion. With these words, I conclude my speech.

Thank you.

(ends)



1838 बजे

**श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद):** माननीय सभापति जी, पिछले सत्र में माननीय अमित शाह जी भारतीय न्याय संहिता, 2023 बिल लेकर आए थे। उसमें हिट एंड रन का कानून था कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट में सामने वाला मर गया, ड्राइवर भाग गया, डर या किसी और वजह से चला गया तो उसके लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान था। देश भर में जब उसका विरोध हुआ तो आपने कहा कि इसे रोक देते हैं। अब आप जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक लेकर आए हैं, इसके अंदर जितने भी गुनाह करने वाले लोग हैं आप उनको डिफ्रिगिन्लाइज कर रहे हैं। एक्सीडेंट तो दो लोगों के बीच की बात थी लेकिन पॉल्यूशन तो उससे भी गंभीर बात है। इसका प्रभाव कितने लोगों पर पड़ता है, इसे आप भी अच्छे से जानते हैं। आप इस बिल के ज़रिए कहना चाहते हैं कि 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक फाइन भरिए, चलते रहिए, काम चलाते रहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉल्यूशन और पर्यावरण एक बहुत बड़ी चिंता का मुद्दा बन गया है। आप भी इंटरनेशनल और नेशनल लैवल कांफ्रेंसेज़ अटैंड करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून तो आना ही चाहिए। यह ऐसा मुद्दा है जिसके प्रति लोगों में अवेयरनेस, चेतना और जागरूकता होनी चाहिए और इसलिए सरकार को इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

(1840/KDS/VR)

आज इस देश के अंदर एनवायरमेंट और पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि केवल इस इश्यू पर सेपरेट कोर्ट्स बनाए जाएंगे, लेकिन आज ये ट्रिब्यूनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा आपसे यह अनुरोध है कि अब इसका स्कोप बढ़ाया जाए और इसके जितने कोर्ट्स हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम बिल के बारे में बात करते हैं, तो सेक्शन-48(1), जिसके अंदर ऑफेंसेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत आपने यह कहा है कि अगर कोई सरकारी विभाग इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पर कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई इतनी बड़ी होगी कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको केवल एक महीने की जो बेसिक सैलरी है, उसे देना पड़ेगा। अगर यही तर्क लगया जाए, तो कोई बड़ी फैक्ट्री या कंपनी यदि इसका उल्लंघन करती है, तो हमें मालूम है कि आपके स्टेट बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड जाता है किसी बेचारे सुपरवाइजर या छोटे-मोटे मैनेजर को नोटिस जाता है। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, तो किसी बड़ी कंपनी या फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन को इसके तहत क्यों आरोपी नहीं बनाया जा सकता है? वरना आप कहेंगे कि नहीं, आपकी भी एक महीने की बेसिक सैलरी दे दीजिएगा और मामला खत्म हो जाएगा। ... (व्यवधान)

मंत्री जी, मैं पूना से आता हूँ और यह मुद्दा किसी जाति, मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है। मैंने बहुत पॉजिटिव चेंज देखे हुए हैं। मैं पहले पत्रकार था। जब गणेश जी का त्यौहार आता है, तो

महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं जब कवर करता था, तो लोग कहते थे कि नहीं साहब, ये हमारे धर्म से जुड़ा है, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन हम नदियों में ही करते हैं। फिर भी आप कोई कानून लेकर नहीं आए। उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट पूना जैसे शहरों में देखने को मिलता है। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में आर्टिफिशियल लेक्स, पॉइंस बनाए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं और उन मूर्तियों को उनके अंदर डालते हैं। यह एक सोशल अवेयरनेस का नतीजा है कि यहां पर इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है।

**माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) :** कृपया कनक्लूड करें।

**श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद):** सर, दूसरी बात यह है कि आप हर घर नल से जल दे रहे हैं। वह जल जो आप दे रहे हैं, वह पॉल्यूटेड है या नहीं है? आप कहेंगे कि नहीं, इसकी जिम्मेवारी फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की है, महा-नगर पालिकाओं की है, नगर पालिकाओं की है। आपके पास यह पॉवर है कि आप देश भर में अपने स्टेट बोर्ड्स को यह कहें कि बड़े-बड़े शहरों, गांवों में एक मुहिम चलाएं और आप देखेंगे कि जा जल आप हमें दे रहे हैं और जिसका जमकर प्रचार हो रहा है कि हर घर नला तो नल में जो जल आ रहा है, क्या वह भी पॉल्यूशन फ्री है, इस बारे में जरा देखें। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ। औरंगाबाद एक ऐतिहासिक सिटी है। अजंता, एलोरा, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए लोग आते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से सुबह फ्लाइट उतरती है, लोग बाहर निकलते हैं तो उनको अपनी नाक बंद करनी पड़ती है, क्योंकि औरंगाबाद बियर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र हो गया है, क्योंकि बहुत सारी बियर फैक्ट्रीज एयरपोर्ट के करीब में हैं। सुबह इतना पॉल्यूशन होता है कि लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। मुझे यदि बू आ सकती है, तो आपके स्टेट बोर्ड के अधिकारी ऐसी कौन-सी दफ्ती लगाए हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही अनुरोध है। धन्यवाद।

(इति)

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्यगण, कृपया ब्रीफ में बोलें। मुझे टोकने की आवश्यकता न पड़े।

1844 hours

\*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for giving me the opportunity to speak on the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill. This Amendment Bill is presented in a way proving BJP Government to be against the people and environment. I oppose this Bill as this paves way for easy environmental degradation. This Bill ends in making irregularities legal. This Government, from the day it came to power, has been diluting several Acts besides bringing amendments to make irregularities legal. This bill which you have taken for consideration is the basis of the livelihood of every citizen. If we do not control water pollution, if we do not punish those who exploit natural resources through stringent laws, we would have been seen as disloyal to our future generations. Through this Bill, if you provide concessions to those who engage in irregularities History will not forgive you. The punishment given and the severity of the irregularity has a mismatch. If you permit this, water which is the central point of environment will be polluted once for all. Through this Bill it is seen that the Government is encouraging everyone to pollute our water bodies. Some of the powers of the State Government have been snatched away through some restrictions. The Central Government wants to prove that it wants to take all the powers in its hands. It is aimed at bringing all the Bills with this motive of centralization of powers. Only when protection of natural resources lies in the hands of State Government it can be effective. As per Section-21 of the existing Act, the State Governments and State Boards have powers. With the amendments being made by you through Sections 25, 26 and 27 you have ensured centralization of powers. You have diluted all the Sections which are against the nature. It has been proposed in this Bill many exemptions from punishment

---

\* Original in Tamil

than ensuring punishments to those who act against environment and environment protection zones. This Government wants to acquire all the powers by bringing a post in the name of Adjudicative Officer. This Officer can be an Officer of the State or Central Government. The Union Government, through this amendment, holds all the powers unilaterally, as it can decide whether an Adjudicative Officer of a State Government can be appointed or not. Through Section 45 C of this Bill, against the actions and judgements of the Adjudicative Officer, one can approach the National Green Tribunal and appeal directly. Hence it is dangerous as a common man has to reach the NGT for redressal of complaints against a big organisation engaged in polluting water bodies. This Government should understand the limits of a common man in reaching the NGT against the mighty companies involved in pollution related activities. The level of expenditure to be incurred by a common man in his fight against big companies should be considered by the Government. Therefore, this Government should set up a separate Tribunal in this regard. Moreover, the imprisonment clause of this Bill, from 2 years up to 7 years, seems to be less and unclear. As these acts are against humanity and Mother Nature, the term of punishment should be severe and for many years. It is not apt to provide a lesser punishment. Although the existing severe punishments are unable to tackle this issue, it would not be apt to minimize the years of imprisonment. It is said that those who throw polythene bags are also punished. On one side, you have allowed manufacturing of polythene bags and on the other hand you are punishing those who use it and throw. I urge that such polythene bag manufacturing industries should be banned permanently rather punishing the general public. As per the 1986 Act, the industries which allow their effluents to be released into a river can be punished. I want to know from you that how many polluting industries have been punished under this provision. This Act should be implemented

effectively. I urge upon this Government to increase the fine amount up to 20 lakhs. I also request that a compensation should be provided to those affected victims of environmental pollution, only by collecting this amount from those persons or organisation who commit this mistake. For rejuvenation and cleaning river Ganges, this Government has spent Rs. 12000 Crore. Environmental activists say that even now, river Ganges is in polluted condition. If that is so, what happened to the Rs 12000 Crore spent by this Government in cleaning river Ganges? If you increase the water flow of this river, cleaning will happen so naturally. This was stated by a Professor of Banaras Hindu University named P.T. Tripathi. Ganges flows in several parts of north India. But it gets importance when it flows in Varanasi, as it is the Constituency of Hon Prime Minister. There are several examples to prove that this Government has failed in cleaning river Ganga. National Mission for Clean Ganga, NMCG was set up by the Ministry of Water Resources as per the Environmental Protection Act of August 2021. NMCG faced several challenges. On an experimental basis, a Scheme was implemented in Mathura, to tackle the various types of effluents and industrial wastes flowing into river Ganges. This Scheme was to purify the polluted river water of Ganges and ensure its reuse by these Industries. I want to ask what the outcome of this Scheme is. How much money was spent under this Scheme? Urge that the way this Union Government gives importance to river Ganges of the north, the south Indian rivers like Cauvery should also be given importance. I want this Bill to be looking into all aspects of prevention and control of water pollution. Thank you for this opportunity.

(ends)

(1845-1850/SJN/SNT)

1850 बजे

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत)** : आदरणीय सभापति जी, मुझे इस बिल पर बोलने का समय देने के लिए मैं आपका और अपनी पार्टी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 पर बोलते हुए मुझे वह दिन याद आ रहा है, आज से लगभग एक वर्ष पहले आप स्वयं हाथ में कुदाल और फावड़ा लेकर कृष्णा नदी का प्रदूषण दूर करने में लगे थे, इसलिए मैं आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ।

आदरणीय सभापति जी, जब से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने तीन बातों पर बहुत जोर दिया है। शासन में पारदर्शिता हो, सब जगह स्वच्छता हो और हम अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास की ओर बढ़ें। उसी के तहत जब वह वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, अभी यहां पर गौरव गोगोई जी जिस गंगा नदी का जिक्र कर रहे थे, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए हजारों-करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मैं इस देश के आदरणीय जल शक्ति मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक गंगा नदी को पवित्र किया गया है, शायद आज एक भी गंदा नाला गंगा नदी में नहीं गिरता है। आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी पर्यावरण मंत्री होने के नाते, वे जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से दूर कर रहे हैं, इस बिल को लाने के लिए मैं उनका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ।

आदरणीय सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि जब नरेन्द्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (नमामि गंगे) चलाया गया था। उसमें हमें जो सफलता मिली है, न केवल गंगा नदी, बल्कि उसके बेसिन की जितनी भी नदियां हैं, उन सबको साफ करने का अभियान चलाया गया है। वर्ष 2019 में एक नया मंत्रालय भी बनाया गया। अभी गौरव गोगोई जी यह कह रहे थे कि हजारों-करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए जो 'गंगा रिजूवनेशन प्लान' बनाया गया था, उसके ऊपर भी एक 'श्वेत पत्र' (व्हाइट पेपर) जारी करने की जरूरत है, ताकि पता चले कि वह पैसा कहां गया। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया था और उसका परिणाम क्या निकला। हमने कहां पैसा खर्च किया है, आज उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है।

आदरणीय सभापति जी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अगर हम विशेष रूप से उस जमाने की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि तीन तरह के प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और जमीन का प्रदूषण। उन्होंने कहा था कि इन तीनों को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। यहां पर आदरणीय पर्यावरण मंत्री जी बैठे हुए हैं। हम तीनों प्रदूषणों को अलग-अलग टैकल नहीं कर सकते हैं। अगर वायु प्रदूषण होता है, तो हम कम साधनों से उस प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। अगर जल प्रदूषण होता है, तो उस प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर जमीन का प्रदूषण हो जाए, तो उस प्रदूषण को दूर करने में वर्षों लग जाते हैं।

कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि वायु प्रदूषण करने वाले, जल प्रदूषण करने वाले या जमीन का प्रदूषण करने वाले लोगों को क्या-क्या सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हमें अर्थशास्त्र को भी देखना चाहिए कि उस जमाने में चाणक्य ने जो बात कही थी, उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था। अगर वायु गंदी या प्रदूषित होगी, तो जल भी प्रदूषित होगा। अगर जल प्रदूषित होगा, तो भी वायु प्रदूषित होगी। अगर जल और वायु दोनों प्रदूषित हैं, तो जमीन भी प्रदूषित होगी। हमें इस बात को अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति और गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह जितनी भी गंदगी करता है, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा हो, कोई कितने ही बड़े पद पर बैठा हो, वह रोज पर्यावरण को गंदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि रोजाना यज्ञ या अग्निहोत्र करना चाहिए।

कुछ लोगों को लगता होगा कि अग्निहोत्र एक धार्मिक चीज है। ये पर्यावरण को साफ करने या पर्यावरण की सफाई करने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। ये हजारों-लाखों वर्षों से हो रहा है। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि पांच तत्व होते हैं। दुनिया पांच तत्वों से बनी है। आप जल को प्रदूषित कर सकते हो, वायु को प्रदूषित कर सकते हो, आप जमीन/पृथ्वी को प्रदूषित कर सकते हो, आज आकाश भी प्रदूषित हो रहा है, इतने सैटेलाइट्स इत्यादि चल रहे हैं, लेकिन चाहते हुए भी इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अग्नि को प्रदूषित नहीं कर सकता है।

(1855/SPS/AK)

इसलिए प्रदूषण को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि अग्नि का प्रयोग करना चाहिए और उन्होंने यज्ञ के लिए कहा। हमारे शास्त्रकार कहते थे कि देवानाम अग्निमुखम, देवों का जो मुख है, वह अग्नि है। हमें उसमें भोग लगाने की जरूरत है। हमारे गुप्त काल में कालिदास ने लिखा है, जिसको इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं। उस जमाने में स्वच्छता थी, पर्यावरण साफ था। वे उस जमाने में कहते थे कि – मलीनता हविं धूर्मेषू केवल यज्ञ मात्र के धुएं से ... (व्यवधान)

**माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) :** सात मिनट हो चुके हैं।

... (व्यवधान)

**श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) :** अभी तो प्रस्तावना है।

**माननीय सभापति :** माननीय सदस्य, विद्वान व्यक्ति हैं, वह बहुत बोल सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है।

**डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) :** सर, मैं समय कम कर रहा हूँ। जो मूल समस्या मैं कह रहा था और मुझ से पहले वक्तों ने इस बात को कहा है कि उद्योगों की समस्या है, इंडस्ट्रीज की समस्या है, क्योंकि उनका प्रदूषण जाता है। हम लोगों ने एसटीपी की बात की है, लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत जगहों पर एसटीपी चलना चाहिए, लेकिन वह नहीं चलता है। दिन में एसटीपी चलता है, रात को एसटीपी बंद कर देते हैं। कैमिकल इंडस्ट्रीज है, फार्मा की इंडस्ट्रीज हैं, शुगर की इंडस्ट्रीज हैं, पेपर की इंडस्ट्रीज हैं। पेपर की इंडस्ट्री पानी को बहुत प्रदूषित करती है। तालाब की बात करते

हैं, तो गांवों में तालाब आजकल गंदे हो गए हैं, क्योंकि घरों की गंदगी उसके अंदर जाती है। हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, यहां फर्टिलाइजर पेस्टीसाइड्स का जिक्र किया है। आज वह जमीन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। जैसा मैंने कहा है कि अगर जमीन प्रदूषित होगी तो जल भी प्रदूषित होता है। हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मृत शरीर को कुछ जगहों पर करते हैं। यहां पर आदरणीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। हम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये बात प्रैक्टिस में देखी गई है कि जिस प्रकार से जो इंडस्ट्री जल को प्रदूषित करेगी, उसके लिए हम लोगों ने सजा का प्रावधान किया है। हमारे अधिकारी हैं, जिनकी कॉग्निजेंस में है, अमरोहा के पास में एक बहुत बड़ी कैमिकल इंडस्ट्री है। उसका डिस्चार्ज जिस प्रकार से जमीन के अंदर जाता है, इसको भी हमें देखने की जरूरत है। कई बार डेटा फज किए जाते हैं। हमारे इस कानून के अंदर इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, मैं बागपत की एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। हमारे यहां हिंडन और कृष्णा नदी है। वहां 6 जिलों के अंदर 122 गांव हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि वहां ग्राउण्ड वाटर इतना कंटेमिनेटेड हो गया है कि लोगों के अंदर अलग-अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं। वहां पर हैंडपंप उखाड़े जा रहे हैं। वहां पर कुछ व्यवस्था की जाए ... (व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। दुनिया में जितने भी प्रदूषण हैं, अगर सबसे बड़ा कोई प्रदूषण दुनिया के अंदर है, वह माइंड का पॉल्यूशन है और इसलिए ही तो गड़बड़ हुई है। उन्होंने 60 साल में जितना प्रदूषण किया है, उसको निकालने के लिए समय तो लगेगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब प्रदूषणों का इलाज करना चाहिए, लेकिन माइंड के प्रदूषण का भी इलाज करें। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, जिससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया जाए, संस्कारों पर ध्यान दिया जाए ... (व्यवधान) मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

(इति)



(1900/UB/MM)

1859 hours

\*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): I thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2024.

Sir, water pollution is due to effluents of industries, garbage of Municipal Corporations and residential pollutants and dairy pollutants flowing into river waters via drains. Sir, the Government has done away with jail term and imposed a penalty on water pollution. You have provided the industries a free hand to spill their effluents anywhere in the water. Sir, today in Punjab, Buddha Nullah in Ludhiana is there. The Beas and Sutlej rivers are being polluted. The factories are openly discharging their polluted chemical effluents in our rivers.

In Amritsar too, several drains are there. These drains are also spilling pollutants in the water. Municipal Corporation is there. Pollution checking department too is there. But, no one is trying to control water pollution.

That Ministry is considered good which has a huge budget. Because corruption and misappropriation of funds happens in such a Ministry. If Departments check pollution, there would be no dirty drains in the country. In Delhi, some stench-filled drains are there in Paharganj and other areas. Same is the condition of Mumbai.

Sir, 10 years have passed. The Government claims that it has cleaned rivers Ganga and Yamuna. But the Government has done nothing to check the source of pollution. The pollution checking department officials should be penalized. Those who are not doing their jobs properly, their jobs should be terminated. Useless officials in this department should be suspended.

Sir, Punjab is the land of five rivers. The SYL issue is a major issue in Punjab. In 1955, we had several billion cubic metric water with us. In 1966, Punjab was divided and Haryana came into existence. They demanded 5.9 billion cubic metric water. At that time, we had ample water. But, now, water has got reduced in Punjab. Sir, I am speaking on a relevant issue. It pertains to this Bill. The NGT should intervene and issue directives.

Sir, our dirty drains in Punjab should be cleaned. The Bhakra dam is there. It should be desilted. Rivers too should be desilted. A 1700 crore project is there. Silt adds to the pollution.

Sir, the rights of States should be protected.

Thank you.

(ends)

1901 hours

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this important legislation.

Since 1974, when the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted, no comprehensive efforts have been made till date to address the loopholes in the law vis-à-vis the present challenges. The primary objectives of the Act were to provide for the prevention of water pollution, and cater to the maintenance and restoration of the water bodies. However, the Act suffers from various drawbacks. It is silent about the groundwater management policies, and fails to deal with the indiscriminate tapping of ground water.

Over the past few decades, the country has seen rapid urbanisation and industrialisation causing pollution loads which are higher than ever. Subsequently, the quality of Indian water bodies has declined drastically and many water bodies have been lost or have shrunk considerably due to encroachment or pollution-induced eutrophication.

Therefore, this Amendment Bill is very relevant. Under the Indian Constitution, the Judiciary has included the right to clean water and environment under the ambit of articles 21, 48, and 51(g) of the Constitution of India. The court has observed that right to clean water is a part of the basic necessity of the human right to life and the State is duty-bound to prevent water from getting polluted. In the leading case of *M. C. Mehta versus the Union of India*, the court held that preventing water of river Ganga from being polluted was the need of the hour.

In 2021, the Parliamentary Standing Committee on Water Resources had flagged the fact that as many as 48,900 rural habitations were affected by water contamination due to arsenic, fluoride, iron, nitrates, heavy metals and high salinity. The Parliamentary Panel recommended the Department to focus its attention on these habitations.

On these backgrounds, the Amendment Bill seeks to find remedies in the existing law. Firstly, the Bill intends to streamline the appointment of key officials of the State Board. The second major Amendment is to

decriminalise the penal provisions, allowing citizens and businesses to function without fear of imprisonment for minor technical or procedural errors. I welcome these provisions on behalf of my Party, Biju Janta Dal.

In this regard, I would like to say that we should not stop with this legislation. We should be proactive so far as protecting our water bodies is concerned. The State Government of Odisha under the able leadership of hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, has initiated the process to set up a State Water Informatics Centre (SIIC), a body dedicated to handle and monitor water resources data from flood water, ground water, surface water and rainwater among others. The State Government is also actively working on rolling out safe drinking tap water supplies.

Water Corporation of Odisha (WATCO), an ISO certified, Government of Odisha owned, not-for-profit company started its journey working with only three Urban Local Bodies in 2019. By March 2023, it is now operational in 29 Urban Local Bodies covering more than 65 per cent of total urban population of the State towards drinking water supply and sewage management.

(1905/SRG/YSH)

It is likely to cover all 115 ULBs of the State in the following years.

Sir, there is an urgent need for preventing our streams, reservoirs, rivers, lakes from being polluted. If the systemic weaknesses associated with the governance structure are not addressed, there is not going to be any benefit from any amendments. India needs a robust monitoring and enforcement system that can detect and arrest pollution at the source. The Government must ensure strong, transparent, and accountable mechanisms that strengthen the policy and achieve its objectives.

With these words, I conclude. Thank you.

(ends)

1906 बजे

**श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर):** सभापति जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हम जानते हैं कि हम सब के लिए जल कितना उपयोगी है। हम सभी के जीवन में जल बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिवेश में जल संरक्षण एवं जल प्रदूषण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। केन्द्र सरकार ने इस बिल के माध्यम से इन दोनों मुद्दों के स्थायी समाधान की एक नई दिशा दी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इस बिल के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करके इसे जल के क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं के उचित समाधान हेतु पहले से ज्यादा कामगार बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार चाहे उद्योग हो या चाहे संयंत्रों की स्थापना हो, उनके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति आवश्यक है। इसके लिए जल निकाय सीवर या भूमि सीवरेज के होने की संभावना है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा मनोनित किया जाएगा। नए विधेयक के प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष की सेवा और शर्तों को केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। इस विधेयक के अंतर्गत जलाशयों के लिए प्रदूषण तत्वों को छोड़ने से जुड़े हुए प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सभापति जी, यह विधेयक बहुत जरूरी है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि केन्द्र की सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर पंजाब की सतलुज नदी को साफ करने के लिए, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के लिए 774 करोड़ रुपये की राशि दी थी। सतलुज नदी पर आज एक भी एसटीपी प्लांट नहीं लगा है। एनजीटी के बार-बार आग्रह करने के बाद भी पंजाब सरकार ने प्लांट नहीं लगाया। जब आपकी सरकार थी और आज जो सरकार है, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। वहां पर एक प्लांट भी नहीं लगने के कारण सतलुज नदी का पूरा पानी खराब हो रहा है। वहां पर एक शुगर मिल बनी हुई है। उसका एक बार बायलर फटा, जिससे इतना प्रदूषण हुआ कि पूरा केमिकलयुक्त गंदा पानी नदी में आ गया और नदी की सारी की सारी मछलियों की मौत हो गई। आज उसका पानी पूरा राजस्थान पीता है। आज राजस्थान के अंदर गंग, भाखड़ा और राजस्थान कैनाल, तीनों का पानी हम पंजाब से ले रहे हैं। आज पंजाब में जितने भी सीवेज के प्लांट्स लगे हैं, उनमें से एक प्लांट पर भी एसटीपी का काम पूरा नहीं हुआ। यह कानून इसलिए बना है, क्योंकि उनको पाबंद किया जाए और सभी स्टेट्स को शुद्ध पानी मिले।

धारा 25 और 27 का इसमें प्रावधान किया गया है। उस पर और ज्यादा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बिल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी का यहां पर राज रहा तो दिल्ली में एक सहाबी नदी थी, वह आज नाला बनकर रह गई

है। मुम्बई में एक मीठी नदी थी, वह आज नाला बनकर रह गई है। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर चैन्नई एक ऐसी जगह है, जहां पर अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो गया है। वहां पर एक हजार फीट तक बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर 9 में से एक व्यक्ति को पीने का पानी, जो असुरक्षित स्रोतों से मिलता है, उसको अगर ठीक करने का काम करें तो आज जो बिल आ रहा है, वह भी ठीक प्रकार से काम करेगा। इसके अलावा 90 प्रतिशत सीवेज, जो जल निकायों से प्रवाहित किया जाता है, उसे भी ठीक करने का काम करेगा। हर दिन 2 मिलियन टन सीवेज और अन्य पदार्थ जल निकायों में छोड़े जाते हैं, उसको भी यह ठीक करने का काम करेगा।

(1910/RAJ/RCP)

अनुमानित हर साल तीन सौ से चार सौ मेगाटन औद्योगिक कचरा निकायों में छोड़ा जाता है, यह उसको भी ठीक करेगा।

सभापति जी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी के अनुसार 61 प्रतिशत शहरी सिवरेज के बिना उपचार की नदियों और अन्य निकायों को छोड़ दिया जाता है, उसको ठीक करने का काम यह बिल करेगा। सीपीसीबी के अनुसार भारत के 276 जिले हैं, उनके नीचे के पानी में फ्लोराइड और आर्सेनिक आ गया है, उसको यह ठीक करेगा। इसलिए इस बिल का होना बहुत जरूरी है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

(इति)

1910 बजे

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव):** सम्माननीय सभापति महोदय, आज इस महत्वपूर्ण विधेयक पर 21 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। सभी ने पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना और विषयों को लेकर चिंता जाहिर की है। सबसे पहले मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इसके विरोध में बोला तो उनके मन में एक संशय था। वह संशय यह था कि क्या इस बिल के माध्यम हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रावधानों को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? क्या यह बिल फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर तो नहीं कर रहा है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और संघीय ढांचे की बुनियाद को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और दोनों ही विषयों का हमने इस बिल में पूरा ध्यान रखा है। हम वर्ष 1974 में जो कानून लेकर आए। इस कानून में एक ऐसा प्रोविजन किया गया था कि जो साधारण प्रवृत्ति के भी जो उल्लंघन थे या जो सामान्य प्रकृति के जो उल्लंघन थे, उसमें भी सजा का प्रावधान था। हम लोग गरिमापूर्ण जीवन के लिए, यह ठीक है कि सभी लोगों को अवसर दें, लेकिन अवसरों को कानूनी मकड़जाल से भी निकालना चाहिए। जैसे अब धारा 20 में प्रावधान था कि अगर जल निकासी से संबंधित जानकारी आपने अपने फॉर्म में नहीं भरी, तो आपके लिए जेल का प्रावधान है। धारा 32, 33 और 33(ए) के अंतर्गत जारी आदेशों का उल्लंघन, जो यद्यपि सामान्य प्रकृति से थोड़ा हो सकता है, लेकिन हर चीज के लिए कोर्ट में जाना और कोर्ट में जाना मतलब कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कितने ऐप्लिकेशंस लगाने पड़ते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है? इसलिए हमने जानकारियों के जो सामान्य विषय हैं, उनको कोर्ट के सजा के प्रावधान को निकाल कर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते उस पर दंड लगाने का प्रावधान किया है। अभी कई लोगों के मन में यह प्रश्न आया। प्रतिमा मंडल जी भाषण दे रही थीं, तब वह यह विषय उठा रही थीं कि इसमें नॉन-कॉम्प्लायंस होगा। सामान्यतः यह कहा जाता है कि न्याय मिलने में देर है, पर अंधेर नहीं। पर वास्तव में, देर अपने-आप में ही अंधेर है। देर भी क्यों होनी चाहिए? जो भी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, तो डिफ्रिडेंडेशन से कानूनी डर, केवल जेल दिखा देने से डर नहीं है। अगर ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग है, तो लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लोगों को कानून के साथ चलने के लिए एक भावना जागृत करनी पड़ेगी। इसलिए हमने इसमें केवल पेनाल्टी का प्रावधान किया है। जब पेनाल्टी के प्रावधान पर चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों को लगता है कि इसमें अधिकारियों को शक्ति तो नहीं आ जाएगी या पेनाल्टी का मनमाना प्रयोग तो नहीं करेंगे। गोगोई जी कह रहे थे कि आप रूल्स बताइए। आप पुराने माननीय सांसद हैं।

(1915/KN/PS)

आप संसदीय प्रक्रिया को जानते हैं। आपको पता है कि कानून के द्वारा संसद सरकार को शक्ति देती है। अगर हम कोई रूल भी लेकर आएंगे तो वह भी संसद से बाहर कैसे ला सकते हैं? वह तो सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन होता ही है। उसकी प्रक्रिया है। अगर आप हर बार छोड़ कर, वाक आउट

करके हंगामा ही करते रहोगे तो प्रक्रिया पढ़ने का समय भी आपको कब मिलेगा? आप प्रक्रिया पढ़िये। प्रक्रिया के अनुसार जब सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन रखा जाता है, तो उस समय भी विषय रखा जाता है। लेकिन मैं यह पूरे तरीके से आश्वासित करना चाहता हूँ कि जो भी नियम इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, उसमें पूरी जांच-पड़ताल होगी। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके जो एविडेंस है, उससे पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद और हमारे रूल्स में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई के पूरे तरीके से अवसर दिए जाने के प्रावधान किए जाएंगे। इसलिए जब रूल्स में ये प्रावधान किए जाएंगे तो यह नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है कि ऐसे रूल्स बनाने के बाद फिर भी अगर किसी व्यक्ति का ग्रीवेंस है, तो उसके अपीलेट राइट होने चाहिए। जब हम कोई भी कानून बनाते हैं, तो उसके इम्प्लिमेंटेशन, एग्जिक्यूशन के बाद किसी व्यक्ति को अपीलेट अथॉरिटी में जाने का अवसर होना चाहिए। अपीलेट अथॉरिटी में जाने का अर्थ यह है कि अपीलेट अथॉरिटी के अधिकार को एनजीटी को देने का काम किया गया है।

1916 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

जो एडजुडिकेटिंग अधिकारी है, वह भी जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर का बनाने का प्रावधान किया गया है। देश में जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन को संभालते हैं तो वह एसडीएम, डीसी, डायरेक्टर लेवल पर आने के बाद जब जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पर आते हैं तो एक तरीके से उनके अंतर्गत उनकी प्रशासनिक क्षमताओं में अपीलेट बॉडी की पूरे तरीके से क्षमता की जाएगी। अपीलेट को चीजें डिसाइड करने की क्षमता होती है, इसलिए अधिकारी का चुनाव हमने इसके अंतर्गत जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का किया है।

फिर यह प्रश्न उठता है कि जब आपने पूरे तरीके से डीक्रिमिनालाइज कर दिया तो फिर एक सेक्शन को क्यों छोड़ दिया। हमारा यह मानना है कि कानून का पालन करने के बाद सभी लोगों को उसको पूरे तरीके से लागू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कोई व्यक्ति कानून ही अपने हाथ में ले लें। उसका अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जब वह इंडस्ट्रियल वेस्ट का, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन करता है तो उसको अपनी पूरी क्षमताओं को देना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बिना सरकार की जानकारी के, बिना कंसेंट टू ऑपरेट के अपने आप ही इंडस्ट्री शुरू कर दे। हमने केवल ऐसे विषयों को सजा के अंतर्गत रखा है।

डीएमके के कथीर आनन्द जी एक विषय के बारे में कह रहे थे। वह कह रहे थे कि आप तो स्टेट के जो पॉल्यूशन बोर्ड्स हैं, उनको गाइडलाइन दे रहे हो। आप उनके ऊपर फोर्स कर रहे हो। उनके चेयरमैन कौन होंगे, वह फोर्स कर रहे हो। ऐसा नहीं किया जा रहा है। केवल एक गाइडलाइन और मानक तय किए जा रहे हैं। आखिर देश में हम ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग का काम करना चाहते हैं और देश में सब जगह स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड – यह कोई पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जरूर है। लेकिन अगर हमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कम्पीटेंट लोग, एक स्टैंडर्ड के लोग, एक योग्यता वाले लोग, केवल मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि अगर उसका एक समकक्ष, एक समान प्रावधान होगा तो अच्छा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ही सेक्टर में, एक ही जगह क्यों नहीं होना चाहिए? हमें पूरे भारत में

इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहिए और उस स्टैंडर्ड के लोग आने चाहिए। हमने केवल मानक तय किए हैं कि जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे, उनकी योग्यता यह होनी चाहिए। उस योग्यता में नियुक्ति का अधिकार तो राज्य सरकारों को ही रहने वाला है। लेकिन उसके लिए एक गाइडलाइन तय करने का विषय है।

फिर गोगोई जी कह रहे थे कि आप किसको एग्जम्पशन करेंगे। हम कुछ इंडस्ट्रीज़, जो केवल ग्रीन इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उनको एग्जम्पशन देंगे, लेकिन वह एग्जम्पशन भी पूरे तरीके से नियमों के अंतर्गत किया जाएगा। वह एग्जम्पशन मनमाना नहीं है। यही तो रूल्स हैं। यही हमारा सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन है।

एक आशंका और उठती है और कई सदस्यों ने अपनी बातचीत में भी यह कहा कि यह जो फाइन आया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। हमारी सरकार पूरे तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करती है। जो भी पैसा आएगा, उसका 75 प्रतिशत पैसा पुनः राज्यों को ही दिया जाएगा। राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि यह जो पैसा आया है, जो नियम है, अपने नियमों के अंतर्गत उस पैसे को अपने राज्य में लगाने के विषय को आगे बढ़ाए।

फिर एक विषय आया कि इतना अमेंडमेंट करने के बाद हम इस रेगुलेटरी मेकेनिज्म को कैसे आगे ले जाएंगे? मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि इस मेकेनिज्म के साथ हमने जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का प्रावधान किया है, उस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को यह पावर होगी कि वह रेगुलेशन वगैरह निकाले।

(1920/VB/SMN)

श्री प्रेमचन्द्रन जी बहुत ही सीनियर मेम्बर हैं। वे कह रहे थे कि आपने तो बताया ही नहीं कि किन राज्यों ने पास किया, कब पास किया। मुझे लगता है कि वे तो सबसे ज्यादा बिल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। जब उन्होंने बिल को पढ़ा होगा, तो जो बिल का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि

“And whereas in pursuance of clause (1) of Article 252 of the Constitution read with Clause (2) thereof, Resolutions have been passed by the Legislative Assemblies of the States of Himachal Pradesh and Rajasthan to the effect that the said Act should be amended by an Act of Parliament for the purposes hereinafter appearing.”

इसमें तो लिखा है। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है और वहाँ हाल ही में दिसम्बर में पास हुआ है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है। इसलिए यह कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है।

**माननीय अध्यक्ष :** वहाँ तो कांग्रेस की सरकार के समय ही उन्होंने पास किया था।

**श्री भूपेन्द्र यादव :** नहीं, अभी किया गया है।

**माननीय अध्यक्ष :** अभी किया गया है।

**श्री भूपेन्द्र यादव :** इसी बजट सेशन में पास किया गया है।



यह कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। राज्य सरकारों को भी पता है कि कंसेंट टू ऑपरेट के लिए किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं और इंडस्ट्रीज को किस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। ओवरऑल वॉटर को मेनटेन करने का जो विषय है, जैसा कि पंजाब के गुरुजीत जी कह रहे थे, वह मुख्यतः जल शक्ति मंत्रालय का विषय है। यहाँ केवल वॉटर के पॉल्यूशन के संबंध में जो विषय है, हमारा उतना ही लिमिटेड विषय है। इसलिए यह सभी राज्यों के द्वारा एक लम्बे समय से मांग की जा रही थी और इस मांग को पूरा करते हुए ही हम लोगों ने इस विषय को आगे बढ़ाया है।

मैं माननीय सांसदों से कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण एक बड़ा विषय है। जैसा कि सुप्रिया जी बोल रही थीं कि हमें एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि एआई से ज्यादा ईक्यू होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ईक्यू का अर्थ है कि जब तक हमारे मन में एंवायरमेंटल कांससनेस नहीं आएगी, तब तक एआई का कोई फायदा नहीं होगा। देश के स्कूलों में, देश के कॉलेजों में एंवायरमेंटल कांससनेस होनी चाहिए।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** इसी होनी चाहिए।

**श्री भूपेन्द्र यादव :** जी हाँ, इसी होनी चाहिए। कांससनेस से ज्यादा कांससनेस होनी चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ग्लासगो में, पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण के लिए 'मिशन लाइफ' का मंत्र दिया। उन्होंने एंवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात की।

हम यह जानते हैं मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लागू किये जा सकते हैं। सोसायटीज के द्वारा भी एडप्टेशन मेजर्स किये जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में, एंवायरमेंट को बचाने का जो विषय है, वह इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा *mindful consumption rather than mindless consumption* की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए *Mindful utilisation of natural resources*, यह बहुत बड़ा विषय है।

इसलिए जल प्रदूषण केवल इंडस्ट्रीज के कारण ही नहीं है, बल्कि यह माइक्रो प्लास्टिक्स, गांवों में तालाबों के प्रदूषित होने के कारण भी है। जैसा कि माननीय सांसद इम्तियाज जलील जी अपने क्षेत्र में बीयर फैक्ट्री के कारण पानी की दुर्गंध के विषय में कह रहे थे, जो इंडस्ट्री के द्वारा जरूरत से ज्यादा पानी लेने, जल प्रदूषण की मॉनिटरिंग और वेस्ट पर नियंत्रण न होने के कारण है।

माननीय सदस्यों की जो चिन्ताएं हैं, वास्तव में ये चिन्ताएं एक सामान्य नागरिक की भी हैं। मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इसके लिए हमारे मंत्रालय के द्वारा जो विशेष रूप से काम किया गया है, उसके तहत हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रिवाइज़ और अपडेट कर रहे हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत भी बहुत बड़े फंड का प्रावधान किया गया है। गंगाजी के एवं बाकी जगहों के बारे में आप जो समस्याएं बता रहे हैं, उनके लिए लिक्विड डिस्चार्ज से संबंधित रूल्स पर भी हमारा मंत्रालय काम कर रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जल प्रदूषण को हम और भी कारगर तरीके से रोक पाएंगे, विशेष रूप से श्मशान भूमि के आसपास नदियों में होने वाले प्रदूषण के लिए भी नियम बनाये जा रहे हैं। जहाँ जागरुकता फैलाने का प्रश्न है, तो हम 'मिशन लाइफ' के लिए काम कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा है कि वर्ष 2014 में, जब से 'नमामि गंगे' प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, श्री गोगोई जी ने बार-बार उसका उल्लेख किया है। 'नमामि गंगे' प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने एक कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है। मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्सेज उस विषय पर काम कर रही है। लेकिन उसमें भी monitoring of water quality, performance of sewage treatment plant, common effluent treatment plant etc., जो विषय हैं, उनको पूरी तरह से लागू करने का हमने प्रयास किया है। (1925/CS/SM)

एक विशेष योजना जो सरकार के द्वारा दी गई थी। जल जीवन मिशन से लेकर, जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई अभियान, अटल भू-जल योजना, मिशन को तो किया ही है, लेकिन आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत सरोवर के एक विशेष अभियान को दिया गया था। हर जिले में 75 अमृत सरोवर की बात की गई थी। अमृत सरोवर के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ और एक लाख 9 हजार ऐसी वाटर बॉडीज चिन्हित की हैं। भारत दुनिया के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। यही कारण है कि दुनिया में अच्छी झीलों के संरक्षण के लिए जो रामसर साइट्स की जो कन्वेंशन है, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आजादी के जब 75 वर्ष हुए तो हमारे देश की जो 75 लेक्स हैं, उनको हमने रामसर साइट्स का दर्जा दिलाया। इस बात तो 2 तारीख को जब वर्ल्ड वेटलैंड डे हुआ तो इंदौर शहर को हमने वेटलैंड सिटी के रूप में दर्ज कराया। यह वेटलैंड हमारे देश के जल संरक्षण, जल की धरोहर को बचाने के लिए, फ्लड से किसी भी शहर को बचाने के लिए, आपके असम में गुवाहटी के पास जो दीपोर बिल लेक है, ब्रह्मपुत्र के पानी का, जो पूरे लेक के वाटर का एयर एरिया बनता है, वहाँ पर भी विशेष रूप से कार्य करने का काम हम लोग कर रहे हैं। बंगाल में भी कर रहे हैं, पूरे देश भर में कर रहे हैं। यह जो पूरा बिल है, यह जल के प्रदूषण में इंडस्ट्रीज को हमने जो जकड़कर रखा था, उस जकड़न को निकालने के लिए हमने एक ईजी-वे दिया है। मेरा यह मानना है कि यह एक ऐसा बिल है, जिसके द्वारा हम किसी इंडस्ट्री को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, हम देश में रोजगार बढ़ाते हुए ईज ऑफ लिविंग के मानकों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो गलतियाँ हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जल संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए हॉल ऑफ दी गवर्नमेंट की जो एप्रोच माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की है, सभी मंत्रालय मिलकर उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप सबका समर्थन इस बिल को मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। (ends)

**माननीय अध्यक्ष :** अधीर रंजन जी, आप कुछ क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** मेरी दो-तीन बातें हैं। भूपेन्द्र यादव जी बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गीता की एक बात कहता हूँ। गीता में यह लिखा गया है: "Amongst

purifiers, I am the wind; amongst wielders of weapons, I am Lord Ram; of water creatures, I am the crocodile; and of flowing rivers, I am the Ganges.”

गंगा को अविरल, निर्मल बनाने के लिए वर्ष 2022 तक एक मकसद रखते हुए, एक ऑब्जेक्टिव रखते हुए इस सरकार ने ऐलान किया था कि कोई म्युनिसिपल वेस्ट, कोई इंडस्ट्रियल एफ्लूएंट वर्ष 2020 के बाद गंगा में नहीं गिरेगा। अब वर्ष 2024 आ गया है। 32 हजार करोड़ रुपये का बजट आउट-ले हो गया है और इसके बाद क्या नतीजा निकला कि 71 मॉनीटरिंग स्टेशंस पर फीकल कोलीफॉर्म परमिसेबल लिमिट से बाहर है और बाकी बीओडी छोड़ ही दीजिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन छोड़ दीजिए।

**माननीय अध्यक्ष :** यह जल संसाधन का मामला है। यह इनका विषय नहीं है।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** सर, इन्होंने यह बताया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन 32 हजार करोड़ रुपये का खर्चा तो हो गया, वर्ष 2024 भी आ गया है और अभी गंगा पूरी दुनिया में 5वीं प्रदूषित नदी बनकर रह गई है। हमारी 40 परसेंट आबादी गंगा के पानी का इस्तेमाल करती है। हम गंगा-गंगा करते हैं, लेकिन गंगा नदी मैली नदी से बाहर नहीं आ पाती है। भूपेन्द्र यादव जी, दूसरी बात इस बिल के मुद्दे पर हम यही कहना चाहते हैं कि Clause 4 of the Bill grants sweeping power – हमारी आपत्ति इसमें है – grants sweeping power to the Central Government to exempt certain categories of industrial plants from the requirement of obtaining consent from SPCB. This move undermines the crucial role of SPCB in regulating industrial activities to prevent water pollution. By allowing exemption, the Bill risks compromising environmental protection standards and potentially exacerbating pollution level.

Clause 5 of the Bill enables the Central Government to issue guidelines on matters related to the grant, refusal or cancellation of consent by SPCB. This provision certainly centralises decision-making authority, diminishing the authority of SPCB. This is my contention. Thank you, Sir.

(1930/IND/RP)

**श्री भूपेन्द्र यादव :** अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी ने दो प्रश्न उठाए हैं। आपने भगवद गीता का उल्लेख किया है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं माघ मास हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ। हमारा डीप रूटेड प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ एकात्मकता को दर्शाता है। आप तो गंगा नदी के किनारे भगीरथी के पास रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्ध है। जहां तक हमारे मंत्रालय के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की बात है:

“Central Pollution Control Board (CPCB) has formulated charter based participatory approach to facilitate the industries for water recycling and pollution prevention in major industrial sectors like Pulp & Paper, Sugar, Distillery, Textile and Tannery in river Ganga main stem states emphasizing on technological upgradation, waste minimization practices, augmentation of effluent treatment plants and reuse/recycle of treated effluents which resulted in reduction in specific fresh water consumption, waste water discharge & pollution load and improvement in compliance.”

हमारी सरकार वन ऑफ दि गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलती है और मैंने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल का विषय आपको बताया है। इसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग है, जिन राज्यों से गंगा निकलती है। हमारा जल शक्ति मंत्रालय उसे पूरी तरह से देखता है। आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि हम सभी लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट को जनांदोलन बनाएं और सरकार की मंशा को भी पूरा करें। आपको यह जानकार गर्व होगा कि जब हम ‘बॉयोडायवर्सिटी कॉप’ में गए थे, वहां संयुक्त राष्ट्र संस्थान ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को वॉटर रेजुवेनेशन के लिए वन ऑफ दि बेस्ट प्रोजेक्ट करके अभिनंदित किया गया था। इस पर आपको और हम सभी को गर्व होना चाहिए। यह सब प्रधान मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ ... (व्यवधान) यह पुरस्कार वर्ष 2014 के बाद मिला है लेकिन पॉल्यूशन वर्ष 2014 से पहले का है और उसे ठीक करने का काम अब हो रहा है। इतना तो आपको मानना चाहिए... (व्यवधान) कुछ लोग काम करते हैं, वे हम हैं लेकिन कुछ लोग काम तमाम करते हैं, वे आप हैं।

आपने दूसरा विषय उठाया है कि हम जो गाइडलाइन्स इश्यू करेंगे, उनमें राज्यों के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे या उनके अधिकारों को तो नहीं लेंगे। इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि हम कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं करेंगे, जिसमें यह लगे कि हम उनके अधिकार अपने हाथ में ले रहे हैं। हम वही गाइडलाइन्स जारी करेंगे जो पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त, नियमों का सरलीकरण और आम आदमी की सहायता करने वाली गाइडलाइन्स हों। वे गाइडलाइन्स ही ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लीविंग के पैमाने पर जो प्रधान मंत्री जी का संकल्प है, उसे आगे बढ़ाने वाली होगी। उसे संघीय ढांचे के अनुरूप ही किया जाएगा।

(इति)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

“कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

-----

**माननीय अध्यक्ष :** अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**खंड 4**

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

“Page 2, line 19,-

*for* “certain categories of industrial plants”

*substitute* “essential categories of industrial plants.” (3)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(1935/RV/NKL)

**खंड 6**

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मण्डल, क्या आप संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Sir, I beg to move:

“Page 2, for lines 40 and 41,-

*substitute* “be less than one lakh rupees, but which may extent to fifty lakh rupees.” (4)

“Page 2, lines 43 and 44,-

*for* “he shall be liable to pay an additional penalty of ten thousand rupees every day during which such contravention continues”

*substitute* “he or she shall be liable to pay an additional penalty of one lakh rupees every day during which such contravention continues.” (5)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

----

### खंड 8

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मण्डल, क्या आप संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

**प्रो. सौगत राय (दमदम):** सर, बी.जे.पी. में पहले यह सब पनिशमेंट होता था, पर अभी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के नाम पर सब पनिशमेंट छोड़ दिया जा रहा है।

Sir, I beg to move:

“Page 3, for lines 24 to 28,-

*substitute* “43. Whoever contravenes the provisions of section 24, shall be liable to pay the penalty which shall not be less than one lakh rupees, but which may extend to fifty lakh rupees and where such contravention continues, he or she shall be pay an additional penalty of fifty thousand rupees every day during which such contravention continues.”.” (6)

“Page 3, for lines 34 and 35,-

*substitute* “measuring correctly shall be liable to pay penalty which shall not be less than one lakh rupees, but which may extend to ten lakh rupees.”.” (7)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 और 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

**खंड 10**

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मण्डल, क्या आप संशोधन संख्या 8 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

“Page 4, line 30,-

<i>for</i>	“ten per cent.”	
<i>substitute</i>	“twenty-five per cent.”.	(8)

“Page 4, lines 45 and 46,-

<i>for</i>	“shall not be less than two years but which may extend to seven years and with fine.”
------------	---

<i>substitute</i>	“shall not be less than five years but which may extend to ten years with fine.”.	(9)
-------------------	---	-----

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 और 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

**खंड 12**

**माननीय अध्यक्ष :** श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 11 और 12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

“Page 5, line 32,-

<i>for</i>	“one month”	
<i>substitute</i>	“one year”.	(11)

“Page 5, line 32,-



*after* “basic salary”

*insert* “and imprisonment up to a period of one year”. (12)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 और 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।

... (व्यवधान)

----

### खंड 15

**माननीय अध्यक्ष :** श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

“Page 6, line 13,-

*for* “member-secretary”

*substitute* “chairman”. (13)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

----

(1940/GG/VR)

**खंड 1**

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 2, for line 1 to 4,-

*Substitute* “(2) it applies to the entire nation”. (1)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** प्रो. सौगत राय और श्रीमती प्रतिमा मण्डल क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 2, for lines 5 to 8,-

*Substitute* “(3) It shall come into force, the State Governments and Union Territories adopt this Act under clause (1) of article 252 of the Constitution read with clause (2) thereof on the date of such adoption.”. (2)

**माननीय अध्यक्ष :** अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री जसबीर सिंह गिल ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है :

“कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

----

**श्री भूपेन्द्र यादव:** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि  
“कि विधेयक पारित किया जाए“

**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए“

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

-----

**माननीय अध्यक्ष :** सभा की कार्यवाही शुक्रवार, 09 फरवरी, 2024 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2045 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 09 फरवरी 2024 / 20 माघ 1945 (शक) के ग्यारह बजे तक के

लिए स्थगित हुई।